भारतीय शिक्षा बोर्ड की नियम संहिता

संबद्धता उपनियम 2023

[भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के vide No.F.11-3/2016-Sch.3, दिनांक 03/02/2023 और एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज़ (AIU) (बोर्डों को समकक्षता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत निकाय) के दिनांक 03/08/2022 के पत्र क्रमांक AIU/EV/IN(I)2022/BSB द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय बोर्ड' जिसको अखिल भारतीय समकक्षता प्रदान की गई है।]

मूल रूप से 09-10-2020 को अंगीकृत किया गया। 30-09-2020 को आयोजित प्रशासकीय समिति (*गवर्निंग सोसायटी*) प्रबंध समिति की बैठक में अनुमोदित। 04-03-2023 को आयोजित प्रशासकीय समिति (*गवर्निंग सोसायटी*) प्रबंध समिति की बैठक में संशोधन कर स्वीकृत किया गया। पुन: 03-08-2023, 27-07-2024, 01-03-2025 एवं 25-08-2025 को प्रबंध समिति की बैठक द्वारा संशोधित किया गया।

पंजीकृत कार्यालय
पतंजलि योगपीठ, चरण-II,
महर्षि दयानन्द ग्राम,
हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-58
हरिद्वार-249405 (उत्तराखंड)
वेबसाइट: www.bsb.org.in
ईमेल: secretary@bsb.org.in
फ़ोन नंबर: 9868122209

नोएडा कार्यालय
संस्कार चैनल,
सेक्टर-16ए,
एफसी-16,
नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301

BHARTIYA SHIKSHA BOARD SECRETARY HARIDWAR

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) एक 'राष्ट्रीय बोर्ड' है, जो विद्यालयी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसे भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पत्र संख्या F.11-3/2016-Sch-3 दिनांक 03-02-2023 के माध्यम से निर्दिष्ट किया है। इसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU), दिल्ली द्वारा पत्र संख्या AIU/EV/IN(I)/2022/BSB दिनांक 03-08-2022 के माध्यम से केंद्रीय और अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालयी शिक्षा बोर्डों के समकक्ष (इक्विलेंस) मान्यता प्रदान की गई है।

बोर्ड के उद्देश्य : देश में '*डोमेन एरिया एजुकेशन*' के अंतर्गत, बालवाटिका से लेकर कक्षा 12 तक के स्तर पर मानकीकरण, प्रबंधन, संघटन, संबद्धता, प्रमाणन, प्रमाणीकरण, पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों की अनुशंसा करना शामिल है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD SECRETARY HARIDWAR

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	अध्यायों का विवरण	पृष्ठ
1.	शीर्षक, प्रारंभ तथा परिभाषाएँ	4
2.	संबद्धता के मानदंड	9
3.	भूमि की आवश्यकता	15
4.	भौतिक आधारभूत संरचना	18
5.	कर्मचारी	22
6.	वित्तीय संसाधन	25
7.	विद्यालय शुल्क	26
8.	विद्यालय प्रबंधन समिति	27
9.	महत्वपूर्ण कार्यकारियों की भूमिकाएँ, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और शक्तियाँ	30
10.	संबद्धता के लिए आवेदन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया	34
11.	विद्यालयों का निरीक्षण	37
12.	दंड	40
13.	दंड लगाने की प्रक्रिया	42
14.	सामान्य प्रावधान	45
15.	विशेष प्रावधान	50
16.	शिक्षकों का सेवा के दौरान प्रशिक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन	55
17.	संबद्धता समिति	57
18.	व्याख्या (Interpretation), निरसन (Repeal) और बचत (Savings)	58
	परिशिष्ट–I संबद्धता के विभिन्न मदों के लिए शुल्क	59
	परिशिष्ट–II संबद्धता के लिए आवेदन फॉर्म	61
	परिशिष्ट–III शपथ पत्र के लिए प्रारूप	70
	परिशिष्ट–IV भूमि का प्रमाण पत्र	72
	परिशिष्ट–V अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	74
	परिशिष्ट–VI सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की स्थिति के प्रमाण पत्र का प्रारूप	75
	परिशिष्ट–VII भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) के साथ पूर्व माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा 8 तक) के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र	76

BHARTIYA SHIKSHA

अध्याय 1

शीर्षक, प्रारंभ तथा परिभाषाएँ

1.1 इन उपनियमों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के संबद्धता उपनियम 2023 कहा जाएगा।

1.2 ये उपनियम जहाँ आवश्यक हो पूरे भारत में लागू होंगे और 'डोमेन क्षेत्र शिक्षा' के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा परिभाषित नियमों के अनुसार लागू होंगे।

1.3 ये उपनियम भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1.4 इन उपनियमों को मौजूदा *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ)* 2005, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)* 2020, केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए अधिनियमों, नियमों और विनियमों के आधार पर तैयार किया गया है। यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन होता है, तो उसके तहत बनाए गए अधिनियमों, नियमों और विनियमों में भी परिणामी परिवर्तन संभव हैं, साथ ही इन उपनियमों के प्रावधानों को उस सीमा तक उस परिवर्तन का प्रभाव माना जाएगा और ऐसे परिवर्तनों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

1.5 भारतीय शिक्षा बोर्ड के संबद्धता संबंधी उपनियम भारतीय शिक्षा बोर्ड के मॉडल उपनियमों के धारा 20 (c) के तहत तैयार किए गए हैं, जैसा कि उचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है।

1.6 **परिभाषाएँ :**

इन संबद्धता उपनियमों में जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक न हो:

1.6.1 'संबद्धता' का अर्थ है, एक विद्यालय/संस्थान की भारतीय शिक्षा बोर्ड (BSB) से औपचारिक संबद्धता, जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार करने के उद्देश्य से होती है। इसमें सभी श्रेणियों और प्रकारों के तहत संबद्धता शामिल है।

1.6.2 'संबद्धता समिति' का अर्थ है बोर्ड की 'संबद्धता समिति'।

1.6.3 'संबद्धता शुल्क' का अर्थ है, वह शुल्क, जो एक विद्यालय द्वारा बोर्ड को संबद्धता और/या इन उपनियमों के प्रावधानों के तहत देय होता है।

1.6.4 उपयुक्त सरकार (एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट) का अर्थ वही है जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

BHARTIYA SH

1.6.5 'बोर्ड' का अर्थ है 'भारतीय शिक्षा बोर्ड'।

1.6.6 प्रति व्यक्ति कर 'कैपिटेशन शुल्क' का अर्थ वही है, जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

1.6.7 'अध्यक्ष' का अर्थ है 'भारतीय शिक्षा बोर्ड' के अध्यक्ष/अध्यक्षा।

1.6.8 'बच्चा' का अर्थ है, एक बालक/बालिका, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक किसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है।

1.6.9 'कमज़ोर वर्ग से संबंधित बच्चा' का अर्थ वही है, जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है।

1.6.10 'समग्र संबद्धता' का अर्थ है उन सभी कक्षाओं के संचालन हेतु मान्यता जो प्रारंभिक कक्षा से लेकर उस कक्षा तक हों, जिनके लिए ऐसी संबद्धता प्रदान की गई है।

1.6.11 'नियंत्रण प्राधिकरण' का अर्थ है, 'बोर्ड की प्रशासकीय समिति (*गवर्निंग सोसायटी*)'।

1.6.12 'पाठ्यक्रम' का अर्थ है, वह पाठ्यक्रम, जो बोर्ड द्वारा संबद्धता के समय निर्धारित किया गया था और बाद में समय-समय पर संशोधित किया गया।

1.6.13 'डोमेन क्षेत्र' का अर्थ है, एक शिक्षा प्रणाली, जो भारतीय पारंपरिक ज्ञान जैसे— वैदिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, शास्त्र और दर्शनों की शिक्षा, भारतीय कला, भारतीय परंपरा और संस्कृत शिक्षा आदि, जो गुरुकुलों, गुरु-शिष्य परंपरा, वेद पाठशाला या कोई अन्य शिक्षा प्रणाली के माध्यम से दी जाती है, जिसका मूल मूल्य वेद शिक्षा में होता है, चाहे उसमें आधुनिक शिक्षा हो या न हो, वह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप होनी चाहिए।

1.6.14 'परीक्षा' का अर्थ है बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, जिनमें बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएँ या कोई अन्य सार्वजनिक परीक्षाएँ शामिल रहेंगी, जिनके वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, मौखिक, लिखित, परियोजना, समूह चर्चा आदि जैसे रूप हो सकते हैं।

1.6.15 'कार्यकारी बोर्ड' का अर्थ है, वह कार्यकारी बोर्ड, जिसे बोर्ड की 'प्रशासकीय समिति' (*गवर्निंग सोसायटी*) द्वारा मॉडल उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित रूप में गठित किया गया है।

1.6.16 'विस्तार' का अर्थ है बोर्ड द्वारा किसी विद्यालय को दी गई संबद्धता की अवधि का विस्तार।

1.6.17 'विदेशी विद्यालय' का अर्थ है, वे विद्यालय जो भारत के बाहर स्थित हैं।

1.6.18 'सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय' का अर्थ है, वह विद्यालय जो केंद्र सरकार/संघ राज्य/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान प्राप्त करता है।

1.6.19 'ग्रांट-इन-एड' का अर्थ है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य या स्थानीय प्राधिकरण से किसी रूप में दी जाने वाली सहायता या अनुदान।

BHARTIYA SHIKSHA

1.6.20 'अभिभावक' का अर्थ वही है, जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।

1.6.21 'गुरुकुल' का अर्थ है, वह संस्था जिसे उसके नाम से जाना जाता है और जो बोर्ड से संबद्ध है।

1.6.22 'गुरु-शिष्य परंपरा इकाई' का अर्थ है, वह संस्था, जिसमें एक गुरु एक वेद या उसकी शाखा को छात्रों को वेदों के उच्चारण/मौखिक परंपरा के अनुसार सिखाए जाते हैं।

1.6.23 'संस्थान का प्रमुख' का अर्थ है, एक माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य या उस विद्यालय/गुरुकुल/गुरु-शिष्य परंपरा इकाई/वेद पाठशाला का प्रमुख, जो बोर्ड से संबद्ध रखता है।

1.6.24 'संस्थान' का अर्थ है, कोई भी संस्थान, जो डोमेन क्षेत्र में बोर्ड द्वारा निर्धारित विनियमों के तहत बोर्ड से संबद्ध है।

1.6.25 'स्थानीय प्राधिकरण' का अर्थ वही है, जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।

1.6.26 'प्रबंधक' का अर्थ है, विद्यालय/संस्थान की प्रबंधन समिति का एक पदाधिकारी, जो संवाददाता के रूप में कार्य करता है।

1.6.27 'सदस्य' का अर्थ है, बोर्ड या भारतीय शिक्षा बोर्ड गवर्निंग सोसाइटी के सदस्य इसमें अध्यक्ष और अन्य सदस्य भी शामिल रहते हैं।

1.6.28 'पूर्व माध्यमिक कक्षा पाठ्यक्रम' का अर्थ है, बोर्ड द्वारा कक्षा 8 तक के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम।

1.6.29 'आधुनिक विद्यालय' का अर्थ है, वह विद्यालय जो विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के साथ-साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, जैसे— संस्कृत, योग, दर्शन आदि का भी पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा है।

1.6.30 'एमएसआरवीवीपी' का अर्थ है, महार्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

1.6.31 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' का अर्थ है, एक पत्र जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के शिक्षा विभाग द्वारा किसी विद्यालय/संस्थान को बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

1.6.32 'गैर-पारंपरिक वैदिक संस्थान' का अर्थ है वह संस्थान जिसमें वेदों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

1.6.33 'अधिसूचना' का अर्थ है, वह अधिसूचना, जो बोर्ड द्वारा जारी और प्रकाशित की जाती है।

1.6.34 'माता-पिता' का अर्थ वही है जैसा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।

1.6.35 'माता-पिता-शिक्षक संघ' या 'पीटीए' का अर्थ है किसी विशेष विद्यालय के माता-पिता और शिक्षकों का एक संघ।

BHARTIYA SHIKSHA

1.6.36 'पाठशाला' का अर्थ, पारंपरिक वेद पाठशाला से है, जहाँ दो या अधिक वेदों को वेद स्वर या परंपरागत उच्चारण के साथ पढ़ाया जाता है, जो संबंधित शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा स्वीकार्य प्राचीन परंपरा के अनुसार माध्यमिक/10 वर्षों की पढ़ाई पूरी करने तक या माध्यमिक स्तर/12 वर्षों की पढ़ाई पूरी करने तक होता है।

1.6.37 'दंड' का अर्थ, उन उपविधियों के तहत विद्यालय पर लगाए गए या लगाए जाने वाले दंड से है।

1.6.38 'निजी विद्यालय' का अर्थ ऐसा विद्यालय है, जो किसी सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 या पूर्ववर्ती अधिनियमों के तहत) द्वारा संचालित हो और जिसे केंद्र/राज्य सरकार के संबंधित अधिनियमों के तहत विधिवत पंजीकृत किया गया हो।

1.6.39 *'अस्थायी संबद्धता' का अर्थ है संबद्धता पत्र में बोर्ड द्वारा दी गई शर्तों को पूरा करने के तहत एक निश्चित अवधि के लिए संबद्धता प्रदान करना।

1.6.40 'मान्यता' का अर्थ विद्यालय को प्रदान की गई औपचारिक मान्यता से है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम और/या संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के शिक्षा अधिनियम के तहत दी जाती है।

1.6.41 'पंजीकृत सोसाइटी/संस्था' का अर्थ ऐसे कॉर्पोरेट निकाय से है, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या लागू कानून/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया हो।

1.6.42 'नियम' का अर्थ, बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों से है।

1.6.43 'रिजर्व फंड' का अर्थ वह निधि है, जिसे विद्यालय प्राधिकरण द्वारा बोर्ड की आवश्यकताओं के अनुसार डाकघर/राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाता है।

1.6.44 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' का अर्थ बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 से है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

1.6.45 'नियमावली' का अर्थ बोर्ड की गवर्निंग सोसाइटी द्वारा बनाए गए नियमों से है।

1.6.46 'विद्यालय प्रबंधन समिति' का अर्थ वह समिति है, जो विद्यालय का प्रबंधन करती है और इन उपविधियों के खंड 10 के तहत गठित की गई है।

1.6.47 'विद्यालय' का अर्थ ऐसा विद्यालय/संस्थान है, जो बोर्ड द्वारा संबद्धता के लिए निर्धारित विषयों के क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करता है।

1.6.48 'विद्यालय शुल्क' का अर्थ वह राशि है, जो छात्रों द्वारा अध्ययन के संचालन के लिए विद्यालय को दी जाती है।

1.6.49 'सचिव' का अर्थ भारतीय शिक्षा बोर्ड के सचिव से है।

---

*दिनांक 23.05.2025 को सम्मिलित किया गया तथा दिनांक 25.08.2025 की प्रबंध समिति की बैठक के संकल्प के अनुसार अनुसमर्थित किया गया।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD SECRETARY HARIDWAR

1.6.50 'माध्यमिक विद्यालय' का अर्थ उस विद्यालय से है, जो बोर्ड की माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-10) की परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करता है।

1.6.51 'उच्च माध्यमिक विद्यालय' का अर्थ वह विद्यालय है, जिसमें माध्यमिक (कक्षा-10वीं) और उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा-12वीं) की परीक्षाओं या केवल उच्च विद्यालय प्रमाणपत्र (कक्षा-12वीं) परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराया जाता है।

1.6.52 'सत्र' का अर्थ वह बारह महीनों की अवधि है, जब छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, आमतौर पर अप्रैल से मार्च तक।

1.6.53 'पाठ्यक्रम' का अर्थ बोर्ड द्वारा संबद्धता के समय निर्धारित और समय-समय पर संशोधित पाठ्यक्रम से है।

1.6.54 'शिक्षक' का अर्थ बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक से है, जिसमें प्रधानाचार्य भी शामिल हैं। इसमें वे सभी व्यक्ति आते हैं, जो बोर्ड से संबद्ध किसी भी संस्था में शिक्षण उद्देश्य से कार्यरत हैं और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं।

1.6.55 'पारंपरिक वैदिक शिक्षा' का अर्थ है गुरु-शिष्य परंपरा/वेद पाठशाला में पाठ्यक्रम का संचालन।

1.6.56 'पारंपरिक वैदिक संस्थान' का अर्थ वेद पाठशाला और गुरु-शिष्य परंपरा की इकाइयाँ हैं, जो वेदों की मौखिक परंपरा को सुरक्षित, संरक्षित, विकसित और स्थायी बनाने के लिए स्थापित की गई हैं।

1.6.57 'उन्नयन' का अर्थ किसी विद्यालय को मध्यवर्गीय पाठ्यक्रम से माध्यमिक स्तर तक उन्नत करने या संबद्ध माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर 12वीं तक उन्नत करने से है।

1.6.58 'वेद पाठशाला' का अर्थ ऐसा संस्थान है, जिसे इस नाम से जाना जाता है, जहाँ वेद या वेदों को मौखिक परंपरा का पालन करते हुए पढ़ाया जाता है।

1.6.59 'वैदिक संस्थान' का अर्थ पारंपरिक वैदिक संस्थान और गैर-पारंपरिक वैदिक संस्थान दोनों से है।

1.6.60 'वैदिक विद्यालय' का अर्थ वह विद्यालय है, जहाँ वेद/संस्कृत/योग-दर्शन आदि विषय आधुनिक विषयों, जैसे— विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के साथ मिलाकर पढ़ाए जाते हैं और वह बोर्ड से संबद्ध होता है।

1.6.61 'वैदिक' का अर्थ उसके सभी रूपों के साथ वेदों से है, जिसमें उनकी शाखाएँ, स्वर/उच्चारण, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग, वेद भाष्य, शास्त्र, दर्शन और वर्षों में विकसित उनके अनुप्रयोग शामिल हैं।

1.6.62 पुरुष लिंग का उल्लेख करने वाले शब्द स्त्रीलिंग और ट्रांसजेंडर के लिए भी प्रयुक्त होते हैं।

1.6.63 एकवचन की संख्या का उल्लेख करने वाले शब्द बहुवचन की संख्या के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और इसके विपरीत बहुवचन की संख्या का उल्लेख करने वाले शब्द, संख्या एकवचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं ।

टिप्पणी— यह संबद्धता उपनियम अंग्रेज़ी एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध है। हिंदी में संबद्धता उपनियम 2023 एवं अंग्रेजी में AFFILIATION BYE-LAWS 2023 शीर्षक से उपलब्ध है। किसी बिंदु पर विचलन की स्थिति में, अंतिम निर्णय, अंग्रेज़ी में दिए गए AFFILIATION BYE-LAWS 2023 के अनुसार ही होगा।

अध्याय 2

संबद्धता के मानदंड

2.1 विद्यालय की श्रेणियाँ

बोर्ड सम्पूर्ण भारत में निम्नलिखित प्रकार के विद्यालयों को संबद्ध कर सकता है:

2.1.1 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा संचालित सरकारी विद्यालय।

2.1.2 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय।

2.1.3 सरकार के अधीन स्वायत्त संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय तिब्बती विद्यालय संगठन (सीटीएसओ), सैनिक विद्यालय सोसायटी आदि।

2.1.4 अन्य सरकारी मंत्रालयों/विभागों, जैसे— रक्षा, रेलवे आदि और स्थानीय निकायों द्वारा सीधे संचालित विद्यालय।

2.1.5 (केंद्रीय या राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सीधे प्रबंधित विद्यालय।

2.1.6 (केंद्रीय या राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विभागों आदि के लिए सोसायटियों द्वारा प्रबंधित विद्यालय।

2.1.7 ऐसी सोसायटियों द्वारा प्रबंधित विद्यालय जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विभागों के वित्तीय नियंत्रण में हों।

2.1.8 **निजी विद्यालय, जो निम्नलिखित के द्वारा स्थापित किए गए हों:**

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी, जो शैक्षिक, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों वाली गैर-लाभकारी हों या

(ख) पंजीकृत ट्रस्ट। या

(ग) कंपनियाँ, जो कंपनी अधिनियम- 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत हों और जिनके उद्देश्य में शिक्षा शामिल हो।

BHARTIYA SHIKSHA

2.1.9 बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य श्रेणी।

2.2 **संबद्धता की श्रेणियाँ**

बोर्ड निम्नलिखित प्रकार की संबद्धता के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है—

2.2.1 आधुनिक विद्यालयों (माध्यमिक स्तर) की कक्षा 9वीं से 10वीं तक की संबद्धता।

2.2.2 आधुनिक विद्यालयों (माध्यमिक स्तर) की कक्षा 11वीं से 12वीं तक की संबद्धता।

2.2.3 आधुनिक विद्यालयों (माध्यमिक स्तर) की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की संबद्धता।

2.2.4 माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं से 12वीं) तक उन्नयन।

2.2.5 माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों का स्थानान्तरण (जैसा कि संबद्धता उपनियमों के खंड 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 में उल्लेखित है) जो पहले से अन्य बोर्डों से संबद्ध हैं, को भारतीय शिक्षा बोर्ड में अंतरण करना।

2.3 **विद्यालयों की संबद्धता के लिए आवश्यक शर्तें;**

कोई भी शैक्षणिक संस्था, जो निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी करती है, बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन कर सकती है—

2.3.1 **विद्यालय की स्थापना**

विद्यालय निम्नलिखित में से किसी एक संस्था द्वारा स्थापित होना चाहिए—

2.3.1.1 सरकारी मंत्रालय/विभाग।

2.3.1.2 सांविधिक निकाय।

2.3.1.3 स्वायत्त निकाय।

2.3.1.4 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।

2.3.1.5 स्थानीय निकाय।

2.3.1.6 कोई अन्य सरकारी निकाय।

2.3.1.7 पंजीकृत सोसायटी।

2.3.1.8 पंजीकृत ट्रस्ट।

2.3.1.9 कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 8 के अंतर्गत या पूर्ववर्ती अधिनियमों के तहत पंजीकृत कंपनी।

2.3.2 **कानून के तहत पंजीकरण**

धारा 2.1.6, 2.1.7 और 2.1.8 में वर्णित विद्यालयों के मामले में नियमानुकूल गठित पंजीकृत सोसायटी/ पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत कंपनी (कंपनी अधिनियम- 2013 की धारा 8 या पूर्ववर्ती अधिनियमों के अंतर्गत

पंजीकृत) होना चाहिए। इसका स्वामित्व गैर-लाभकारी होना चाहिए, और यह एकल व्यक्ति या परिवार के सदस्यों के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यह प्रचलित कानूनों और नियमों का पालन करता हो।

2.3.3 विद्यालय प्रबंधन समिति

प्रासंगिक शिक्षा अधिनियम/उपयुक्त सरकार के नियमों के तहत, हर विद्यालय के पास प्रबंधन की एक योजना होनी चाहिए। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति होनी चाहिए, जैसा कि आरटीई अधिनियम, 2009 और इन उप-नियमों के अध्याय 8 में प्रावधानित है।

2.3.4 राज्य सरकार से मान्यता

बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत नियमों और प्रावधानों का पालन करता हो।

*2.3.5 'संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (UT) से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र'

*बोर्ड से संबंद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के वाले विद्यालय संबंधित राज्य सरकार। संघ राज्य की अनापत्ति के साथ अथवा बिना अनापत्ति प्रमाण के आवेदन कर सकते हैं।

यदि विद्यालय बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संबंद्धता के लिए आवेदन करता है, तो बोर्ड मॉडल उपनियमों के क्लॉज़ 20(3) के तहत भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए दिए गए प्रावधानों का उपयोग करते हुए, संबंद्धता की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। तदनुसार, विशिष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित प्रपत्र में, संबंधित विद्यालयों से आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के नामित सार्वजनिक प्राधिकरण को ईमेल द्वारा सभी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन भेजेगा। बोर्ड ऐसे आवेदन और सभी दस्तावेज अपनी वेबसाइट पर भी सार्वजनिक जाँच के लिए अपलोड करेगा। यदि स्थानीय सरकार/राज्य/केंद्र सरकार सहित कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण,संबंधित विद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के लिए 30 दिनों के भीतर अपनी 'आपत्ति' या 'अनापत्ति' व्यक्त नहीं करता है तो बोर्ड 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। या अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी, जिस दिन आवेदन शिक्षा विभाग के राज्य/संघ शासित प्रदेश के नामित सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा गया।

"स्विच ओवर श्रेणियों (Switch over categories) के विद्यालयों के मामले में, विद्यालय द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड को आवेदन करते समय यह घोषणा करनी होगी कि उसके खिलाफ पूर्ववर्ती बोर्ड या राज्य/ संघ शासित प्रदेश सरकार के समक्ष कोई मुकदमा या विवाद लंबित नहीं है। बदले में बोर्ड, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग के नामित प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा। संबद्धता उपनियमों के अन्य सभी प्रावधान इस श्रेणी पर भी लागू होंगे"

* बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले विद्यालय संबंधित राज्य सरकार। संघ शासित प्रदेश की 'अनापत्ति' साथ या उसके बिना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.3.6 **भूमि की आवश्यकता** : अध्याय 3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

BHARTIYA SHIKS

2.3.7 **भौतिक अधिसंरचना** : अध्याय 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार।

2.3.8 **वेबसाइट** :

बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन करने वाले विद्यालय को अपनी वेबसाइट बनानी और बनाए रखनी होगी, जिसमें विद्यालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई हो।

2.3.9 **आवश्यक दस्तावेज**

बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन करते समय, विद्यालयों को निर्धारित आवेदन पत्र, (परिशिष्ट I) में शुल्क के साथ परिशिष्ट II, परिशिष्ट III, परिशिष्ट IV, परिशिष्ट V और परिशिष्ट VI के रूप में आवश्यक जानकारी जमा करनी होगी।

2.3.10 **संबद्धता प्रदान करना**

निरीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट तथा सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति के पश्चात् बोर्ड, आवेदक विद्यालय को बोर्ड से संबद्धता की सूचना देते हुए पत्र जारी करेगा।

बशर्ते कि बाल वाटिका से कक्षा आठ तक भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाला विद्यालय परिशिष्ट VII में उल्लिखित आवेदन पत्र तथा अपेक्षित शुल्क जमा करेगा। हालाँकि, विद्यालय को एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी संबद्धता (Provisional Affiliation) प्रदान की जा सकती है, जिसके भीतर विद्यालय को बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

2.4 **आवश्यकताएँ : संबद्धता के बाद**

बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के बाद, किसी भी विद्यालय को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, ताकि संबद्धता अनुमोदन पत्र में उल्लिखित शर्तों और उसमें निर्दिष्ट सत्र के अनुसार बीएसबी पैटर्न के अनुसार कक्षाएँ प्रारंभ कर सके:

2.4.1 अध्याय 5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्टाफ और सेवा शर्तें।

2.4.2 अध्याय 6 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय संसाधन।

2.4.3 अध्याय 7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शुल्क।

2.4.4 कर्मचारियों को वेतन केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) के माध्यम से ही भुगतान किया जाना चाहिए।

2.4.5 **छात्रों का नामांकन** :

(क) भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में नामांकन लिंग, दिव्यांगता, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना किया जाएगा। आरक्षण, यदि कोई हो, तो वह संबंधित सरकार के लागू शिक्षा अधिनियम/नियमों द्वारा संचालित होगा।

(ख) नामांकन के उद्देश्य और नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी के संदर्भ में विद्यालय, 2009 के नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा संचालित होंगे।

(ग) विद्यालय कक्षा 10 और 12 में किसी भी छात्र को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे नामांकन नहीं देगा।

2.4.6 **पाठ्यक्रम और पाठ्यसामग्री :**

(क) विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम (Curriculum & Syllabus) का पालन करेगा।

(ख) विद्यालय बोर्ड के परीक्षा उप-नियमों में वर्णित विभिन्न कक्षाओं के अध्ययन योजना का पालन करेगा।

2.4.7 **पुस्तकें :**

(क) विद्यालय बालवाटिका से लेकर सभी कक्षाओं में भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार पाठ्यपुस्तकों को अपनाएगा। हालाँकि जब तक भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हो जातीं, विद्यालयों को एनसीईआरटी की पुस्तकें अपनानी होंगी।

(ख) विद्यालय अपनी वेबसाइट पर निर्धारित पुस्तकों की सूची प्रदर्शित करेगा।

2.4.8 **शिक्षा की गुणवत्ता :**

विद्यालय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी होगी और अपनी सभी गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। विद्यालय को समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी नवाचार संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

2.4.9 **वेबसाइट :**

प्रत्येक संबद्ध विद्यालय अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा: संबद्धता स्थिति, अवसंरचना विवरण, शिक्षकों का विवरण (योग्यता सहित), छात्रों की संख्या, डाक और ईमेल पता, टेलीफ़ोन नंबर, जारी किए गए *ट्रांसफर सर्टिफिकेट* की प्रतियाँ आदि। वेबसाइट पर फीस से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित करनी होगी।

2.4.10 **योग शिक्षक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक:**

प्रत्येक विद्यालय को निर्धारित ग्रेड में योग शिक्षक नियुक्त करना होगा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक उच्च स्तर पर पीईटी (शारीरिक शिक्षा शिक्षक) का छात्र-शिक्षक अनुपात 1:500 होना चाहिए, या 5+3+3+4 *पैटर्न* की परिपत्र/शैक्षणिक संरचना के अनुरूप होना चाहिए। इन शिक्षकों को पीआरटी (शारीरिक शिक्षा), टीजीटी (शारीरिक शिक्षा) और पीजीटी (शारीरिक शिक्षा) के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

2.4.11 **विशेष शिक्षकः**

प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय 9वीं से 12वीं विद्यालय को पूर्णकालिक विशेष शिक्षक नियुक्त करना होगा। नियुक्ति और योग्यता बोर्ड और भारत पुनर्वास परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए।

2.4.12 **परामर्शदाता और वेलनेस शिक्षक :**

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पूर्णकालिक परामर्शदाता और वेलनेस शिक्षक नियुक्त करना होगा। यह शिक्षक मनोविज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर, बाल विकास में स्नातकोत्तर, या करियर मार्गदर्शन और परामर्श में डिप्लोमा/आयुर्वेद डिप्लोमा धारक होना चाहिए। यदि कक्षा 9वीं से 12वीं में छात्रों की संख्या 300 से कम है, तो विद्यालय अंशकालिक परामर्शदाता और वेलनेस शिक्षक नियुक्त कर सकते हैं।

2.4.13 **दोहरी संबद्धता की अनुमति नहीं :**

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय एक ही भूमि और अवसंरचना के साथ किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता नहीं रख सकता। यदि संबद्धता 'स्विच-ओवर' श्रेणी में दी गई है, तो विद्यालय को पूर्व संबद्ध बोर्ड के छात्रों को चरणबद्ध तरीके से निकालना होगा।

2.4.14 **संबद्धता की अवधि और इसका स्वरूपः**

जो विद्यालय संबद्धता उप-नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें स्थायी संबद्धता प्रदान की जाएगी, हालाँकि यदि कोई विद्यालय इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो संबद्धता रद्द की जा सकती है।

2.4.15 **समग्र संबद्धताः**

सभी श्रेणियों के विद्यालयों के संबंध में संबद्धता केवल समग्र संबद्धता होगी। स्कूल के लिए उस कक्षा से लेकर, उस स्तर तक सभी कक्षाएँ चलाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए संबद्धता प्रदान की गई है।

विद्यालयों को निम्नलिखित कक्षाओं के लिए समग्र संबद्धता प्रदान की जा सकती है—

i. बाल वाटिका से कक्षा 10वीं तक

ii. बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक

बशर्ते कि बाल वाटिका से कक्षा 8 तक की मान्यता संबंधित राज्यों द्वारा दी जाएगी।

2.4.16 **पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम (Curriculum/Syllabus) की स्वीकृतिः**

2009 के शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कक्षा 8 तक मान्यता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्यों की होगी। यदि विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम (Curriculum/Syllabus) की स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें निर्धारित शुल्क और आवेदन पत्र के साथ आवेदन करना होगा (परिशिष्ट VII के अनुसार)। इन विद्यालयों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की ही पुस्तकें पढ़ाई जाएँगी। शिक्षक प्रशिक्षण, बोर्ड द्वारा समय-समय पर *ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड* में प्रदान किया जाएगा। *ऑफ़लाइन* प्रशिक्षण की लागत विद्यालयों द्वारा वहन की जाएगी।

अध्याय 3

भूमि की आवश्यकता

3. विद्यालय या विद्यालय का संचालन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी के पास निम्नलिखित मानकों के अनुसार भूमि होनी चाहिए :

3.1 **भूमि की आवश्यकता**

भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए विद्यालय की भूमि के संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

3.1.1 जिस भूमि पर विद्यालय स्थित है, वह एकसमान और निरंतर एकल भूखंड होनी चाहिए। यदि भूमि के एक से अधिक सर्वेक्षण नंबर हैं, तो सभी सर्वेक्षण नंबर/भूखंड एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए और समग्र रूप से एक भूखंड का निर्माण किया जाना चाहिए।

3.1.2 भूमि पर खेल का मैदान होना चाहिए।

3.1.3 उपर्युक्त भूमि चारों ओर से पर्याप्त ऊँचाई वाली पक्की *बाउंड्री वाल* से घिरी होनी चाहिए।

3.2 **भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के इच्छुक विद्यालयों के लिए निम्नलिखित भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है :**

3.2.1 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए *6000 वर्ग मीटर भूमि।

*03.08.2023 को प्रबंधन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित।

3.2.2 कस्बों और नगरपालिकाओं में स्थित विद्यालयों के लिए *3000 वर्ग मीटर भूमि।

*03.08.2023 को प्रबंधन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित।

3.2.3 *अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र/नगर निगम/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ समाज में जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है या कोई विशेष बाधा है, वहाँ पर विद्यालय हेतु 1500 वर्ग मीटर भूमि।

*3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 और 3.2.6 को एक साथ मिला दिया गया, जिससे 3.2.3 का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर घटकर 1500 वर्ग मीटर रह गया, तथा प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 25.08.2025 के प्रस्ताव के अनुसार खंड संख्या 3.2.3 को बरकरार रखा गया।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD SECRETARY HARIDWAR

3.2.4 *यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित भूमि आवश्यकताओं में कोई अंतर है, तो जो भी कम मानक होगा वही भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने वाले विद्यालयों पर लागू होगा। किसी भी दशा में (स्वीच ओवर मामले को छोड़कर) भूमि क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर से कम मान्य नहीं होगा।

3.2.5 *जिन विद्यालयों के लिए 6000 वर्ग मीटर/3000 वर्ग मीटर के मानक की आवश्यकता है परंतु विशेष परिस्थितियों में शिथिल मानक के अंतर्गत न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध है, ऐसे विद्यालय भी संबद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते, इन विद्यालयों पर अनुभागों (Sections) एवं नामांकित विद्यार्थियों की संख्या की सीमा भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गयी अनुमति के अनुरूप होगी।

3.2.6 *यदि किसी कारणवश समस्त भूमि एक जगह उपलब्ध न हो और विद्यालय कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएँ अलग परिसर में चलाने हेतु संबद्धता प्राप्त करना चाहता है तो बोर्ड विवेकानुसार स्थानीय शासकीय सीमा के अंतर्गत स्थित सुविधाजनक निकटवर्ती भू-खंडों पर विद्यालय संचालित करने की अनुमति दे सकता है। बशर्ते, ऐसी जगहों पर प्रयोगशालाएँ, खेल का मैदान एवं अन्य सुविधाएँ/व्यवस्थाएँ बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए। खेल के मैदान के लिए यदि विद्यालय को उचित दूरी पर स्थित किसी सार्वजनिक भूमि अथवा किसी अन्य विद्यालय के मैदान के उपयोग की सक्षम प्राधिकारी से अनुमति है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है।

3.2.7 ऐसे विद्यालय जो बोर्ड से संबंधित हैं और उन पर विद्यालय की स्थापना हेतु शिथिल भूमि मानक लागू होता है, वे उसी नाम और संबद्धता संख्या तथा विद्यालय प्रबंधन के तहत एक शाखा विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। बशर्ते, इसके लिए भौतिक और शैक्षणिक अवसंरचना और शिक्षण एवं अन्य स्टाफ आदि के मामले में संसाधनों की अलग व्यवस्था होनी आवश्यक है।

3.3 भूमि का स्वामित्व

विद्यालय या उसे स्थापित करने वाले सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी के नाम पर सभी भूमि स्वामित्व दस्तावेज होने चाहिए।

3.3.1 स्वामित्व दस्तावेज बिक्री विलेख/गिफ्ट डीड/लीज डीड/आवंटन पत्र आदि के रूप में होने चाहिए और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा विधिवत पंजीकृत होने चाहिए।

3.3.2 लीज के मामले में, भूमि/भवन की लीज डीड न्यूनतम 15 वर्ष की प्रभावी अवधि के लिए पंजीकृत होनी चाहिए।

*विशेष परिस्थितियों में बोर्ड भूमि और भवन के पंजीकरण लीज डीड को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए होने पर भी अनुमति प्रदान करने पर विचार कर सकता है। बशर्ते, इस तरह की डीड में उचित नवीनीकरण का प्रावधान हो। जिससे कुल अवधि 15 वर्ष या उससे अधिक हो सके।

*25.08.2025 को प्रबंधन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD SECRETARY HARIDWAR

3.3.3 सरकारी या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा निष्पादित लीज, यदि यह विशेष रूप से विद्यालय चलाने के लिए है, तो 15 वर्षों से कम अवधि के लिए भी स्वीकार की जा सकती है।

3.3.4 आवेदन के समय लीज/डीड वैध होनी चाहिए और उसके नवीनीकरण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

3.3.5 लीज या संपत्ति के अन्य दस्तावेज़ों की वैधता की अवधि इतनी होनी चाहिए कि यह आवेदन सत्र से 15 वर्ष या उससे अधिक की वैध अवधि के लिए भूमि पर विधिक अधिकारों की गारंटी दें।

3.3.6 संबद्धता की अवधि के दौरान विद्यालय की ज़िम्मेदारी होगी कि वह लीज या आवंटन का नवीनीकरण कराए।

3.3.7 लीज की अवधि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की नीति और नियमों के अधीन होगी।

3.3.8 यदि औद्योगिक परियोजनाओं द्वारा स्थापित विद्यालयों के लिए भूमि औद्योगिक परियोजना के स्वामित्व या कानूनी कब्जे में है और उक्त औद्योगिक परियोजना द्वारा विद्यालय चलाने के लिए आवंटित की गई है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

3.3.9 उपनियम 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 में वर्णित विद्यालयों के मामले में, यदि भूमि (केंद्रीय या राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, सरकार आदि के स्वामित्व या कानूनी कब्जे में है और उक्त (केंद्रीय या राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैधानिक निकायों, स्वायत्त निकायों, सरकारी विभागों आदि द्वारा विद्यालय चलाने के लिए आवंटित की गई है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 4

भौतिक आधारभूत संरचना

4. **विद्यालय की संबद्धता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:**

*4.1 **कक्षा-कक्ष**

विद्यालय भवन की संरचना एवं वास्तु कला क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे उस क्षेत्र की भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक परंपराओं और पर्यावरण अनुकूल संस्कृति को बढ़ावा मिले। साथ ही संरचनाओं एवं हितधारकों की सुरक्षा और शिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

- कक्षा-कक्ष का न्यूनतम आकार 8 मीटर × 6 मीटर (लगभग 500 वर्ग फुट) होना चाहिए।
- प्रत्येक कक्षा के लिए एक अलग कक्षा-कक्ष होना चाहिए।
- प्रत्येक छात्र के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र होना आवश्यक है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए कक्षा-कक्ष के आकार में छूट व्यक्तिगत मामलों के आधार पर दी जा सकती है।
- विशेष परिस्थितियों में बोर्ड तार्किक कारणों पर विचार करते हुए 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाले कक्षा-कक्षों की अनुमति दे सकता है। इस तरह के मामलों में कक्षा-कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर क्षेत्र तथा शिक्षक/शिक्षकों के लिए पर्याप्त सुविधाजनक स्थान के आधार पर तय की जाएगी।

4.2 **विज्ञान प्रयोगशाला**

- (माध्यमिक स्तर के लिए संयुक्त प्रयोगशाला या उच्च माध्यमिक 12वीं स्तर के लिए भौतिकी, रसायन और जीवविज्ञान की अलग प्रयोगशालाएँ)
- प्रत्येक प्रयोगशाला का न्यूनतम आकार 9 मीटर × 6 मीटर (लगभग 600 वर्ग फुट) होना चाहिए।
- प्रयोगशालाएँ पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं उपयुक्त सामग्री से परिपूर्ण होनी चाहिए।

*25.08.2025 को प्रबंधन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित।

4.3 **पुस्तकालयः**

4.3.1 पुस्तकालय का न्यूनतम आकार 14 मीटर × 8 मीटर होना चाहिए और यह पूर्ण रूप से विद्यालयी स्तरानुकूल सुसज्जित होना चाहिए, जिसमें पढ़ने के कक्ष की सुविधा और अन्य संसाधन शामिल हों, ताकि विद्यालय में छात्रों की संख्या को पूरा किया जा सके।

4.3.2 पुस्तकालय में सभी विषयों पर छात्रों की आयु के अनुसार पर्याप्त संख्या में पुस्तकें होनी चाहिए।

4.3.3 पुस्तकालय में ई-पुस्तकें, कथा साहित्य, गैर-कथा साहित्य, संदर्भ पुस्तकें, विश्वकोष, पत्रिकाएँ, मैगज़ीन, जर्नल और समाचार पत्र शामिल होने चाहिए। स्टाफ और छात्रों को ई-पत्रिकाएँ, ई-जर्नल्स, ई-पुस्तकें, योग पत्रिकाएँ और आयुर्वेद जर्नल्स आदि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4.3.4 पुस्तकालय में कोई भी ऐसी पुस्तक या साहित्य नहीं होना चाहिए, जो सांप्रदायिक असहमति, जातिवाद, या धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे। विद्यालय को ऐसी कोई पुस्तक नहीं रखनी चाहिए, जिसे सरकार/मंडल द्वारा अस्वीकृत किया गया हो।

4.3.5 पुस्तकालय से प्रत्येक छात्र को नियमित रूप से पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए।

4.3.6 पुस्तकालय के लिए पर्याप्त वार्षिक बजट का प्रावधान होना चाहिए।

4.4 **कंप्यूटर प्रयोगशाला**

कंप्यूटर प्रयोगशाला का न्यूनतम आकार 9 मीटर X 6 मीटर (लगभग 600 वर्ग फुट) होना चाहिए।

4.4.1 विद्यालय में कंप्यूटर और छात्रों का अनुपात 1:20 होना चाहिए।

4.4.2 विद्यालय में न्यूनतम 20 कंप्यूटर होने चाहिए और कंप्यूटर और छात्रों का अनुपात 1:20 होना चाहिए।

4.4.3 विद्यालय में उच्च गति की *इंटरनेट कनेक्टिविटी* होनी चाहिए।

4.4.4 800 छात्रों तक की संख्या के लिए एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। प्रत्येक अतिरिक्त 800 छात्रों के लिए एक और प्रयोगशाला अनिवार्य है।

4.4.5 यदि विद्यालय उच्च माध्यमिक 12वीं स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित कोई विषय शामिल कर रहा है, तो इसके लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक अलग प्रयोगशाला होनी चाहिए।

4.4.6 कंप्यूटर प्रयोगशाला में साइबर सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए और छात्रों को केवल शिक्षक/शिक्षकों की निगरानी में ही प्रयोगशाला में आने की अनुमति दी जानी चाहिए।

4.5 **गणित प्रयोगशाला:** विद्यालय में गणित प्रयोगशाला के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए, जिसका आकार कम-से-कम एक नियमित कक्षा के बराबर होना चाहिए।

4.6 अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए हॉल/कक्षः योग और अन्य गतिविधियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय हॉल/बड़ा कमरा होना चाहिए और साथ ही संगीत, नृत्य, कला और खेलकूद आदि के लिए अलग कमरे होने चाहिए।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

4.6.1 विद्यालयों में कौशल/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं के पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए।

4.7 पीने का पानी, शौचालय और अन्य भौतिक सुविधाएँ

4.7.1 विद्यालय प्रत्येक मंजिल पर पीने योग्य पानी की पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा।

4.7.2 विद्यालय प्रत्येक मंजिल पर साफ और स्वच्छ शौचालय प्रदान करेगा, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग व्यवस्था हो। प्राथमिक छात्रों के लिए शौचालय अन्य शौचालयों से अलग होना चाहिए। कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय (महिला और पुरुष) होने चाहिए। सभी श्रेणियों के शौचालयों पर संकेतक बोर्ड प्रमुखता से लगाए जाने चाहिए।

4.7.3 शौचालयों और प्रवेश/निकास बिंदुओं पर व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए रैंप जैसी उचित सुविधाएँ और लिफ्ट में श्रवण संकेतों की व्यवस्था 2016 के दिव्यांग अधिकार अधिनियम (RPWD) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए।

4.7.4 विद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त और उपयुक्त फर्नीचर होना चाहिए।

4.7.5 विद्यालय में विज्ञान, गृह विज्ञान, तकनीकी विषयों, व्यावसायिक विषयों और कार्य अनुभव व कला शिक्षा के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक उपकरण और सुविधाएँ होनी चाहिए।

4.7.6 विद्यालय बच्चों की सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेगा:

(क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Civil) no. 483 of 2004 में अविनाश मेहरोत्रा (याचिकाकर्ता) बनाम भारत संघ और अन्य (प्रतिवादी) के मामले में जारी दिशानिर्देश।

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी विद्यालय सुरक्षा नीति, 2016, जो विधिक रूप से अनिवार्य है।

(ग) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विकसित विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर नियमावली।

(घ) राष्ट्रीय भवन कोड (NBC) - 2005, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

4.7.7 विद्यालय राज्य सरकार/नगरपालिका प्राधिकरण/परिवहन विभाग द्वारा स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और परिवहन से संबंधित सावधानियों के सभी नियमों का पालन करेगा।

*बोर्ड, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पेयजल, अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा तथा परिवहन आदि सावधानियों से संबंधित शर्तों के लिए राज्य के नामित प्राधिकरणों द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों को स्वीकार कर सकता है। बशर्ते, यह सभी संबंधित राज्यों में लागू मानकों के अनुसार हों।

---

*25.08.2025 को प्रबंधन समिति की बैठक के प्रस्ताव के अनुसार संशोधित।

BHARTIYA SHIKSHA

4.7.8 विद्यालय में छात्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक विकास और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मनोरंजक गतिविधियों, शारीरिक शिक्षा और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त सुविधाएँ होनी चाहिए।

4.7.8.1 विद्यालय में प्रशिक्षित नर्स और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की व्यवस्था के साथ एक प्राथमिक उपचार कक्ष (इंफर्मरी) का प्रावधान निश्चित होना चाहिए।

4.7.9 **खेल का मैदान:** विद्यालय में कम-से-कम 200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और अन्य पारंपरिक खेलों के लिए बाहरी सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए।

4.8 प्रत्येक कक्षा में नामांकन और अनुभाग की सीमा

प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की अधिकतम संख्या 40 होनी चाहिए। कक्षा में प्रति छात्र एक वर्ग मीटर निर्मित फर्श क्षेत्र की उपलब्धता, विद्यालय के लिए अनिवार्य है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 5

कर्मचारी

5. प्राचार्य, उप-प्राचार्य, शिक्षक और अन्य स्टाफ के संबंध में योग्यताएँ, भर्ती और सेवा नियम निम्नलिखित खंडों में दिए गए हैं।

5.1 आधुनिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य/उप-प्राचार्य/विद्यालय प्रमुख सहित शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए:

5.1.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण (2001) के नियम, जो गजट अधिसूचना F.No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S) दिनांक 23/08/2010 के अनुसार और समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार होनी चाहिए।

5.1.2 शिक्षकों की भर्ती के नियम या न्यूनतम योग्यताएँ वहाँ की उस उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित हों, जहाँ विद्यालय स्थित है।

5.1.3 भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू किए गए विषयों के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएँ भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट होंगी।

5.1.4 जहाँ आवश्यकता होगी, खंड 5.1.2 में दिए प्रावधान को खंड 5.1.1 और 5.1.3 के प्रावधानों से वरीयता दी जाएगी।

5.1.5 गुरुकुल, गुरु-शिष्य परंपरा, वेद पाठशाला या किसी अन्य शिक्षा प्रणाली, जिनका आधार वैदिक शिक्षा (आधुनिक शिक्षा के साथ या बिना) है, के शिक्षण *स्टाफ* (प्राचार्य/उप-प्राचार्य/विद्यालय प्रमुख सहित) की न्यूनतम योग्यताएँ समय-समय पर महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान (एमएसआरवीवीपी) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होंगी।

5.2 विद्यालय को विभिन्न श्रेणियों के *स्टाफ* की भर्ती के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनानी होगी और उसका पालन भी करना होगा। भर्ती से संबंधित गतिविधियों के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तावित हैं:

5.2.1 विद्यालय को उपयुक्त राज्य सरकार के भर्ती नियमों के अनुरूप *स्टाफ* के लिए भर्ती नियम बनाने होंगे।

5.2.2 शिक्षण और गैर-शिक्षण के स्टाफ को सरकार द्वारा निर्धारित उपयुक्त वेतनमान और भत्तों पर नियुक्त करना होगा।

5.2.3 सभी चयन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।

5.2.4 चयनित उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र जारी किया जाना चाहिए। नियुक्ति पत्र में कर्मचारी की सेवा की शर्तें, जैसे— पदनाम, परिवीक्षा, वेतनमान और अन्य भत्ते शामिल होने चाहिए।

5.2.5 शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ का सेवा रिकॉर्ड बनाए रखना और अद्यतन करना आवश्यक होगा। शिक्षकों के आवेदन पत्र, बायोडाटा (व्यक्ति परिचय), नियुक्ति पत्र और उनकी शैक्षणिक योग्यता के स्व-प्रमाणित फ़ोटोकॉपी को उनके व्यक्तिगत फाइलों में संग्रहित किया जाना चाहिए।

5.2.6 इन उप-नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक *स्टाफ*/शिक्षकों की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर करनी चाहिए।

5.3 विद्यालय को शिक्षण और गैर-शिक्षण *स्टाफ* के सेवा नियम बनाने होंगे, जो उपयुक्त सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों के अनुरूप हों। सेवा नियमों को विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय चलाने वाली ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य होगा। इनमें निम्नलिखित के लिए स्पष्ट और प्रलेखित प्रावधान होने चाहिए:

5.3.1 नियुक्तियाँ

5.3.2 चिकित्सा प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि

5.3.3 परिवीक्षा (परिवीक्षा का विस्तार सहित)

5.3.4 पुष्टि

5.3.5 सेवा समाप्ति/पदों की समाप्ति (अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के कारण)

5.3.6 सेवानिवृत्ति की आयु

5.3.7 कार्य दिवस और कार्य घंटे

5.3.8 शिक्षण अवधि की संख्या और घंटे

5.3.9 शिक्षकों द्वारा अभिलेख विवरण (रिकॉर्ड) का रखरखाव

5.3.10 कर्मचारियों की उपस्थिति

5.3.11 अंशदायी भविष्य निधि या ESI या पेंशन योजना

5.3.12 विद्यालय प्रबंधन के समक्ष अभ्यावेदन

5.3.13 योग्यता जोड़ने की अनुमति

5.3.14 अन्य पद के लिए आवेदन

5.3.15 निजी और अन्य ट्यूशन

5.3.16 अवकाश, अवकाश का प्रावधान

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

5.3.17 कर्मचारियों के लिए कर्तव्य और आचार संहिता

5.3.18 सेवा पुस्तिकाएँ

5.3.19 कार्य निष्पादन (परफॉर्मेंस) मूल्यांकन/आकलन प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

5.3.20 अनुशासनात्मक प्रक्रिया: निलंबन और पुनर्नियुक्ति आदि

5.3.21 अनुशासनात्मक समिति का गठन

5.3.22 दंड (लघु और प्रमुख), दंड लगाने की शक्ति और प्रक्रिया

5.3.23 पुनर्नियुक्ति और सेवानिवृत्ति पर वेतन और भत्तों का भुगतान

5.4 विद्यालय में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए प्रति सेक्शन 1.5 शिक्षक होने चाहिए, जिसमें प्राचार्य, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, योग शिक्षक और परामर्शदाता शामिल नहीं हैं।

अध्याय 6

वित्तीय संसाधन

6.1 विद्यालय के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए, ताकि उसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। विद्यालय के संचालन व्यय पूरे किए जा सकें और विद्यालय सुविधाओं में सुधारात्मक विकास और शिक्षकों की क्षमता का विकास/निर्माण किया जा सके।

6.2 संस्था की आय का कोई भी भाग ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/विद्यालय प्रबंधन समिति या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। यदि आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों को पूरा करने के बाद कोई बचत होती है, तो उस निधि का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जा सकेगा।

6.3 यह विद्यालय की ज़िम्मेदारी होगी कि वह अपने खातों को पारदर्शी और उत्तरदायी तरीके से रखे, जो लेखा मानकों के आधार पर हों। खातों का लेखा परीक्षण (ऑडिट) और प्रमाणन एक वित्तीय लेखा अधिकारी (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा किया जाएगा और उचित वार्षिक खाता विवरण तैयार कर बनाए रखे जाएँगे, ऐसा करना मौजूदा कानूनों/नियमों के अनुसार अनिवार्य होगा।

6.4 सभी लेन-देन डिजिटल मोड के माध्यम से किए जाएँगे और विद्यालय से किसी भी संस्थान या किसी भी व्यक्ति को नकद का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

6.5 विद्यालय को अपनी अलग खाता पुस्तिका बनाए रखनी होगी और इसे चलाने वाली संस्था से स्वतंत्र रूप से खाता विवरण बनाए रखना होगा।

6.6 **आरक्षित कोष :**

यदि उपयुक्त सरकारी कानून/विनियम द्वारा निर्धारित किया गया हो, तो विद्यालय को आरक्षित कोष बनाए रखना होगा, जैसा कि उक्त कानूनों/नियमों के तहत निर्धारित किया गया है।

6.7 विद्यालय की ज़िम्मेदारी होगी कि वह सभी लोन के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए, जिसमें ऋण के प्रयोजन, सुरक्षा और भुगतान की शर्तों आदि का विवरण हो। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि लिया गया ऋण केवल विद्यालय के विकास के लिए ही उपयोग किया गया हो।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 7

विद्यालय शुल्क

7. विद्यालय चलाने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनियों को इन उपनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार बिना लाभ कमाने के उद्देश्य के कार्य करना होगा। विद्यालय को इस प्रकार शुल्क वसूलने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यालय चलाने के खर्चे पूरे हो सकें। विद्यार्थियों से शुल्क वसूलने के संबंध में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा:

7.1 विद्यालय चलाने वाली कोई भी सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी स्वयं किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क (कैपिटेशन शुल्क) नहीं वसूलेगी और न ही प्रवेश के उद्देश्य से किसी प्रकार का दान स्वीकार करेगी।

7.2 प्रवेश शुल्क और किसी अन्य शीर्षक के तहत लिया गया शुल्क केवल उपयुक्त सरकार के नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा।

7.3 शुल्क केवल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शीर्षकों(मदों) के तहत ही लिया जाएगा साथ ही विद्यालय आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का पालन करेगा।

7.4 **शुल्क की वापसी :**

यदि उपयुक्त सरकार द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में जब कोई छात्र पढ़ाई छोड़ देता है या किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित होना चाहता है, तो शुल्क केवल उस महीने तक वसूला जाएगा, जिस महीने तक छात्र ने पढ़ाई की है या स्थानान्तरण किया है। यह सभी प्रकार के शुल्क पर लागू होगा न कि उस महीने तक, जिसमें स्थानान्तरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया गया है।

7.5 **शुल्क संशोधन :**

7.5.1 विद्यालय का शुल्क संशोधन उपयुक्त सरकार के कानूनों, विनियमों और निर्देशों के अधीन रहेगा।

7.5.2 किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का शुल्क विद्यालय प्रबंधन समिति की स्पष्ट स्वीकृति या उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना संशोधित नहीं किया जाएगा।

7.6 केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्यालयों के शुल्क नियमन के संबंध में बनाए गए अधिनियम और नियम, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों पर लागू होंगे।

BHARTIYA S

अध्याय 8

विद्यालय प्रबंधन समिति

8. केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियम में दिए गए प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक संबद्ध विद्यालय को निम्नलिखित उपखंडों के अनुसार प्रबंधन योजना अपनानी होगी:

8.1 बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम, 2009 और केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए अन्य अधिनियमों या विनियमों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति होनी चाहिए।

8.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना:

8.2.1 मान्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालय की प्रबंधन समिति में अधिकतम पंद्रह सदस्य होंगे; और निजी सहायता रहित विद्यालय की प्रबंधन समिति में अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे, हालांकि वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों के लिए अतिरिक्त सदस्य (विषय-विशेषज्ञ) नियुक्त किए जा सकते हैं।

8.2.2 उपखंड 8.1 के प्रावधानों और उपखंड 8.2.1 में निर्दिष्ट कुल सदस्यों की संख्या के अधीन, प्रत्येक प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(क) विद्यालय के प्रधानाचार्य, जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(ख) विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के दो अभिभावक (एक पिता और एक माता), विशेष रूप से सह-शिक्षा विद्यालयों में।

(ग) विद्यालय के दो शिक्षक।

(घ) दो अन्य व्यक्ति (जिनमें से एक महिला होंगी); जो किसी अन्य विद्यालय या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/शिक्षक रहे हों, जिन्हें ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा नामित किया जाएगा। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी भी नामित किए जा सकते हैं।

(ड) बोर्ड द्वारा नामित दो सदस्य।

(च) शेष सदस्यों को विद्यालय चलाने वाले ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार नामित या निर्वाचित किया जाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

(छ) 'मान्यता (रिकग्निशन)' में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार सदस्य नामित किए जा सकते हैं।

(ज) कम-से-कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए।

8.3 प्रबंधन समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। किसी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनः नामित किया जा सकता है, लेकिन कोई सदस्य लगातार दो कार्यकालों से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता, सिवाय पदेन सदस्यों और ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के सदस्यों के।

8.4 विद्यालय प्रबंधन समिति की शक्तियाँ और कार्य:

8.5 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन, विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं बिंदुओं तक सीमित नहीं होंगे:

8.5.1 विद्यालय की गतिविधियों का सुचारू तरीके से संचालन सुनिश्चित करना।

8.5.2 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा दिए गए विशेष निर्देशों के अनुसार प्रवेश नीति पर कार्य करना। यह सुनिश्चित करना कि राज्य नीति के अनुसार जेंडर, दिव्यांग, धर्म, जाति, नस्ल, पंथ और जन्मस्थान आदि के भेदभाव के बिना प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर हो।

8.5.3 विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना।

8.5.4 विद्यालय की उन्नति एवं सुधार हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार करना।

8.5.5 शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

8.5.6 प्रधानाचार्य को सौंपे गए अधिकारों से परे बजटीय प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना।

8.5.7 बिना प्रधानाचार्य की शैक्षणिक स्वतंत्रता को प्रभावित किए शैक्षणिक कार्यक्रमों और विद्यालय की प्रगति की समीक्षा करना ।

8.5.8 विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य का मार्गदर्शन करना।

8.5.9 यह सुनिश्चित करना कि केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और भारतीय शिक्षा बोर्ड के अधिनियम/नियमों में दी गई सेवाओं की शर्तों और विद्यालय की मान्यता/संबद्धता से संबंधित अन्य नियमों का सख्ती से पालन किया गया हो।

8.5.10 यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता न हो और प्रवेश/परीक्षाओं के संबंध में कोई अनियमित प्रक्रिया न अपनाई जाए।

8.5.11 उपखंड 7.5 में निर्धारित शर्तों के अधीन शुल्क और अन्य शुल्कों की दरों को मंजूरी देना।

8.5.12 प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत बजट की समीक्षा करना और इसे ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करना।

8.5.13 बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सुधार के लिए दिशा-निर्देश देना।

8.5.14 शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों आदि से संबंधित शिकायतों को देखना और लागू नियमों के अनुसार उनका निपटारा करना।

8.5.15 विद्यालय प्रबंधन समिति प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम-से-कम दो बार बैठक करेगी।

8.6 उपयुक्त सरकार के अधिनियम और विनियमों में निहित प्रावधान, इन उपनियमों में विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित प्रावधानों पर प्रभावी रहेंगे।

अध्याय 9

महत्वपूर्ण कार्यकारियों की भूमिकाएँ, उत्तरदायित्व, कर्तव्य और शक्तियाँ

9. विद्यालय के संचालन में शामिल सभी पदाधिकारियों की भूमिका विद्यालय को एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने, उसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने, कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और इसे शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण और अहम होती है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन उपनियमों में वर्णित प्रावधानों के अधीन, विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी, लेकिन इन्हीं बिंदुओं तक सीमित नहीं होंगी :

9.1 **ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी**

9.1.1 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यालय केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों और भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता मानदंडों के अनुसार संचालित हो रहा है, यह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होगी और आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक कदम उठाएगी।

9.1.2 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यालय को उचित भूमि, भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेलकूद के लिए उपकरण और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए आवश्यक अधोसंरचना, फर्नीचर और योग्य *स्टाफ* उपलब्ध हो, साथ ही बोर्ड के मानकों के अनुसार बच्चों के लिए निर्धारित सुरक्षा उपाय अपनाए जाएँ।

9.1.3 यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय को एक सामुदायिक सेवा के रूप में संचालित किया जाए और किसी भी प्रकार से व्यावसायीकरण न हो।

9.1.4 यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय से प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी विद्यालय के लाभ और शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए ही किया जाए।

9.1.5 प्रधानाचार्य की स्वायत्तता की सुरक्षा की जाएगी।

9.1.6 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का विद्यालय प्रबंधन समिति पर नियंत्रण होगा।

9.1.7 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी का किसी भी पूंजीगत व्यय, जैसे— भूमि और अधोसंरचना, भवन निर्माण, विस्तार, प्रमुख उपकरणों की खरीद आदि पर नियंत्रण होगा।

9.1.8 ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी विद्यालय के लिए धनराशि प्रदान करेगी, चाहे वह आवर्ती हो या गैर-आवर्ती।

9.1.9 यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

9.1.10 यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के शिक्षक/प्रधानाचार्य और अधोसंरचना बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षाफल (परिणाम) और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाएँ।

9.1.11 यह सुनिश्चित करना कि प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षाफल (परिणाम) का प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों से संबंधित कोई भी कार्य अस्वीकार न करें।

9.2 विद्यालय प्रमुख (प्रधानाचार्य)

9.2.1 विद्यालय प्रमुख/प्रधानाचार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे और निम्नलिखित कार्य करेंगे;

9.2.2 शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के प्रभारी के रूप में विद्यालय के कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

9.2.3 यह सुनिश्चित करेंगे कि संबद्धता उपनियमों और परीक्षा उपनियमों के सभी प्रावधानों और भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।

9.2.4 विद्यालय के कर्मचारियों के लिए आहरण (आरेखण) और वितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, हालाँकि निजी सहायता रहित विद्यालय के मामले में, वे केवल ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कार्यों का ही निर्वहन करेंगे।

9.2.5 वे विद्यालय के खातों, अभिलेखों, शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाओं और अन्य रजिस्टरों, रिटर्न और सांख्यिकी के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

9.2.6 विद्यालय से संबंधित आधिकारिक पत्राचार सँभालेंगे और केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक जानकारी और *रिपोर्ट* समय सीमा के भीतर बोर्ड को प्रदान करेंगे।

9.2.7 विद्यालय के लिए आवश्यक भंडार एवं अन्य सामग्री की खरीददारी, ऐसे क्रयों को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार करेंगे तथा ऐसे सभी भंडारों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा बिलों की जाँच तथा भुगतान करेंगे।

9.2.8 विद्यालय की संपत्ति और स्टॉक का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम-से-कम एक बार करेंगे और *स्टॉक* रजिस्टरों का साफ-सुथरा और सटीक रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।

9.2.9 विद्यार्थियों के कोष (प्यूपिल फंड) के सही उपयोग के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

9.2.10 सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए संतोषजनक व्यवस्था करेंगे और विद्यार्थियों के लिए अन्य सुविधाएँ प्रदान करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय भवन की अधोसंरचना, उसके उपकरण और फर्नीचर, कार्यालय

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

उपकरण, शौचालय, खेल के मैदान, विद्यालय उद्यान और अन्य संपत्तियों का सही और सावधानीपूर्वक रखरखाव किया जाएगा।

9.2.11 विद्यालय के शिक्षण और गैर-शिक्षण *स्टाफ* के कार्यों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियंत्रण करें।

9.2.12 विद्यालय में प्रवेश, समय सारणी तैयार करने, शिक्षकों के कर्तव्यों के आवंटन और शिक्षण भार निर्धारण के प्रभारी रहेंगे। शिक्षकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन और विद्यालय परीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

9.2.13 अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करके वर्ष का शैक्षणिक कार्य पहले से ही योजनाबद्ध करेंगे। प्रत्येक महीने कम-से-कम एक बार स्टाफ बैठक आयोजित करेंगे, महीने में किए गए कार्य की समीक्षा करेंगे और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करेंगे।

9.2.14 शिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और उन्हें इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए आयोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

9.2.15 शिक्षकों की आत्म-सुधार (उन्नति) की पहल को बढ़ावा देंगे और उन्हें शैक्षणिक और अन्य शैक्षिक रूप से उपयोगी नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

9.2.16 कक्षा शिक्षण का पर्यवेक्षण करें और समान विषय क्षेत्रों के शिक्षकों के बीच सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करें, साथ ही अन्य विषयों के शिक्षकों के बीच समन्वय को भी बढ़ावा देंगे।

9.2.17 समुदाय के कमजोर वर्गों के बच्चों और अन्य बच्चों, जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है, के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

9.2.18 अनौपचारिक शिक्षण और कक्षा से बाहर शिक्षण की व्यवस्था करेंगे।

9.2.19 विद्यार्थियों के लिखित कार्यों और गृहकार्य की नियमित जाँच के लिए समय सारणी तैयार करेंगे और सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन और सुधार समय पर और प्रभावी ढंग से किए जाएँ।

9.2.20 विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार विशेष निर्देशों के आयोजन की व्यवस्था करेंगे।

9.2.21 *हाउस सिस्टम* या अन्य प्रभावी तरीकों से विभिन्न सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करेंगे।

9.2.22 विद्यालय में पुस्तकालय के संसाधनों और वाचनालय की सुविधाओं का विकास और आयोजन करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी और शिक्षक स्थापित मूल्य और उपयोगिता वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का उपयोग कर सकें।

9.2.23 नियमित रूप से विद्यार्थियों की प्रगति *रिपोर्ट* उनके माता-पिता या अभिभावकों को भेजेंगे।

9.2.24 विद्यार्थियों की शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आदतों का उच्च स्तर सुनिश्चित करें और विद्यार्थियों की नियमित चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करेंगे। चिकित्सा रिपोर्ट माता-पिता या अभिभावकों को भेजेंगे।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

9.2.25 प्रतिदिन कम-से-कम एक पीरियड विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए समर्पित करेंगे।

9.2.26 बोर्ड की परीक्षाओं के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अन्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण और परीक्षा संचालन कार्यों के लिए शिक्षकों को भेजने के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

9.2.27 प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख बोर्ड द्वारा परीक्षा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों से संबंधित सौंपे गए किसी भी कार्य को अस्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रमुख बोर्ड द्वारा, जहाँ भी और जब भी नियुक्त किए जाएँ, केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति, कर्तव्य और ज़िम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपेंगे।

9.3 विद्यालय प्रबंधक/पत्राचार अधिकारी

9.3.1 प्रबंधक/पत्राचार अधिकारी विद्यालय को संचालित करने वाले बोर्ड/ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी और विद्यालय के बीच संपर्क का माध्यम होंगे।

9.3.2 यह सुनिश्चित करेंगे कि सोसाइटी से प्राप्त निर्देश विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाचार्य को सही ढंग से प्रेषित किए जाएँ।

9.3.3 प्रबंधन समिति के नियंत्रण के अधीन विद्यालय पर सामान्य निगरानी रखेंगे।

9.3.4 प्रबंधन योजना में निर्दिष्ट और उनके लिए प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

9.3.5 कर्मचारियों के नियुक्ति पत्रों, अनुशासनात्मक कार्रवाई पत्रों, सेवा समाप्ति और निलंबन पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे।

9.3.6 विद्यालय प्रमुख के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

9.3.7 बोर्ड के निर्देशों का समयबद्ध तरीके से पालन सुनिश्चित करेंगे।

9.3.8 संबद्धता/मान्यता से संबंधित सभी पत्राचार पर हस्ताक्षर करेंगे।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 10

संबद्धता के लिए आवेदन और अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया

10.1 **नई संबद्धता और अन्य बोर्डों से 'स्विचओवर'**

10.1.1 आवेदन जमा करने का तरीका

संबद्धता के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से जमा किए जा सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आवेदन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने पर ही स्वीकार और प्रसंस्कृत किए जाएँगे।

10.1.2 विद्यालयों को आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अध्याय 2 (संबद्धता के मानक) में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करना होगा और दस्तावेजी प्रमाण निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत करना होगा।

10.1.3 *बोर्ड इस प्रकार के आवेदन को सभी दस्तावेज़ों के साथ अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखेगा।

*प्रबंध समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 03.08.2023 को संशोधित।

10.1.4 आवेदन प्राप्त होने पर, बोर्ड दस्तावेज़ों की जाँच करेगा कि मानदंडों की सभी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं।

10.1.5 बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय संस्थान को आवेदन प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बुलाएगा, यह आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक हो सकता है।

10.1.6 बोर्ड संबंधित विद्यालय का निरीक्षण करेगा, जब तक यह संभव हो, आवेदन प्राप्ति के 150 दिनों के भीतर, यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या विद्यालय के शैक्षिक मानक उस मानक के अनुरूप हैं, जो संबद्धता प्रदान करने के लिए नियमों में निर्दिष्ट हैं।

10.1.7 विद्यालयों का निरीक्षण दो विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो संबद्धता उपनियमों के तहत बनाई जाएगी। विशेषज्ञ उस क्षेत्र से नहीं होंगे जहाँ विद्यालय स्थित है।

10.1.8 विद्यालय को सभी दस्तावेज तैयार रखने होंगे और निरीक्षण समिति को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराने होंगे। निरीक्षण समिति सभी संबद्धता की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से जाँच करने के बाद रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

10.1.9 बोर्ड निरीक्षण रिपोर्ट की जाँच करेगा और इसे बोर्ड के सक्षम प्राधिकरण के पास रखा जाएगा, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि विद्यालय को संबद्धता दी जानी चाहिए या नहीं। सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदन या अस्वीकृति का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में विद्यालय को सूचित किया जाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA

10.1.10 बोर्ड संबंधित क्षेत्रीय संस्थान को 45 दिनों के भीतर निरीक्षण के परिणामस्वरूप आवश्यक अन्य जानकारी या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बुलाएगा।

10.1.11 बोर्ड आवेदन प्राप्ति के 240 दिनों के भीतर :

(क) यदि विद्यालय संबद्धता की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो संबद्धता देगा और

(ख) यदि विद्यालय संबद्धता के सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो कारण के साथ लिखित रूप में संबद्धता को अस्वीकार करेगा।

10.1.12 एक बार संबद्धता देने के बाद, यह तब तक वैध रहेगा जब तक इसे उपनियम 13.2 के तहत किसी कारण से रद्द नहीं किया जाता है।

- प्रबंध समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार 03.08.2023 को संशोधित।

10.1.13 बोर्ड अपनी वेबसाइट पर दिए गए उपनियम 10.1.9 के तहत लिए गए निर्णय को कायम रखेगा।

10.1.14 कोई विद्यालय बोर्ड के निर्णय के खिलाफ, आवेदन की जाँच या निरीक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में, निर्णय की सूचना मिलने के 60 दिनों के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के बाद कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.1.15 यदि संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है और आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो विद्यालय नए सिरे से आवेदन कर सकता है। संबद्धता के लिए नए आवेदन के लिए विद्यालय को संबद्धता शुल्क फिर से जमा करना होगा और संबद्धता के मानकों को पूरा करना होगा।

10.1.16 कोई भी विद्यालय आवेदन लंबित रहने के दौरान बिना बोर्ड की औपचारिक संबद्धता प्राप्त किए, भारतीय शिक्षा बोर्ड *पैटर्न* की कक्षाएँ शुरू नहीं कर सकता।

10.2 माध्यमिक कक्षा 12वीं तक उन्नयन

10.2.1 उन सभी मामलों में जहाँ विद्यालय ने संबद्धता के उन्नयन के लिए माध्यमिक कक्षा 12वीं स्तर पर आवेदन किया है, नियम 10.1 और उसके उप- नियम में दिए गए प्रावधान और प्रक्रियाएँ लागू होंगी।

10.2.2 नियम 10.1 और उसके उप-नियम में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त, इन उपनियमों में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों को, जिन्हें किसी विद्यालय को संबद्धता से पहले या बाद में पूरा करना आवश्यक है। बोर्ड या केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश का पालन करना भी विद्यालय के लिए आवश्यक होगा।

10.3 अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन :

बोर्ड से माध्यमिक कक्षा 10वीं तक संबद्ध विद्यालय, माध्यमिक 12वीं कक्षाओं के लिए संबद्धता प्राप्त करने के बाद 12वीं की कक्षाएँ शुरू कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में उन विशिष्ट विषयों में छात्रों को शामिल कर सकते हैं, जिनके लिए संबद्धता दी गई है, हालाँकि विद्यालय छात्रों को अधिक विकल्प देने

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

के लिए अतिरिक्त विषयों को जोड़ने की पहल कर सकते हैं। इन अतिरिक्त विषयों को निम्नलिखित उप-नियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

10.3.1 अतिरिक्त विषयों के लिए आवेदन करना और संबंधित शुल्क (जो कि परिशिष्ट-I में दिया गया है) जमा करना विद्यालय की जिम्मेदारी होगी।

10.3.2 बोर्ड आवेदन किए गए विषय/विषयों के शिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निरीक्षण कर सकता है।

10.3.3 कोई भी विद्यालय आवेदन किए गए अतिरिक्त विषयों में कक्षाएँ शुरू नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए किया गया आवेदन लंबित हो। विद्यालय इन अतिरिक्त विषयों में कक्षाएँ केवल बोर्ड से स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही शुरू कर सकता है।

10.4 संबद्धता शुल्क और आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा

10.4.1 विद्यालय संबद्धता शुल्क (जो परिशिष्ट-I में दिया गया है) के साथ निर्धारित आवेदन पत्र में, संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है।

10.4.2 जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा, चाहे आवेदन किन्हीं आधारों पर खारिज किया गया हो, भले ही विद्यालय का निरीक्षण न किया गया हो।

10.4.3 ऑनलाइन/ऑफ़लाइन आवेदन इन उपनियमों के दायरे में आने वाली सभी श्रेणियों के लिए सामान्यत: 1 जनवरी से खुलेगा और किसी विशेष कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक बंद हो जाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA

अध्याय 11

विद्यालयों का निरीक्षण

11.1 **संबद्धता के लिए निरीक्षण :**

किसी भी विद्यालय को बोर्ड से संबद्ध नहीं किया जाएगा, जब तक कि निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण न किया जाए, जिसमें कम-से-कम दो सदस्य हों, जिनमें से एक सदस्य को शिक्षाविद् होना चाहिए। निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं, जिन्हें निरीक्षण समिति के द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्मिलित/दृष्टिगत रखा जाएगा:

11.1.1 उपलब्ध बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ।

11.1.2 शिक्षकों का वास्तविक एनरोलमेंट और उनकी योग्यताएँ।

11.1.3 शैक्षिक मानक।

11.1.4 कक्षाओं में पढ़ाने की प्रक्रिया।

11.1.5 रिकॉर्ड का रखरखाव।

11.1.6 बही-खाता यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय अपने खातों को सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से अलग रखकर चला रहा है।

11.1.7 बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।

11.1.8 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशन नीतियों का कार्यान्वयन।

11.1.9 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों से संवाद।

11.1.10 बोर्ड द्वारा विशिष्ट रूप से निर्धारित अन्य बिंदु।

11.2 **आवधिक निरीक्षण:**

11.2.1 बोर्ड किसी भी समय संबद्ध विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है। प्रत्येक संबद्ध विद्यालय का कम-से-कम तीन वर्षों में एक बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

11.2.2 आवधिक निरीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त एक या अधिक सदस्यों की निरीक्षण समिति द्वारा किया जा सकता है।

11.2.3 निरीक्षण प्रक्रिया को शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक उन्मुख बनाने के लिए परिणाम-आधारित कार्यप्रणाली पर ध्यान दिया जाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

11.2.4 धारा 11.2 के तहत निरीक्षण में धारा 11.1.1 से 11.1.10 तक के किसी भी प्रमुख बिंदु को शामिल किया जा सकता है।

11.3 यह विद्यालय की जिम्मेदारी होगी कि निरीक्षण के दिन विद्यालय में पढ़ाई कर रहे बच्चों के चार अभिभावकों को निरीक्षण समिति से संवाद करने की अनुमति दे । इन चार अभिभावकों में से दो पुरुष और दो महिला होने चाहिए। एक लड़की के अभिभावक और एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अभिभावक होने चाहिए।

11.4 **औचक निरीक्षण :**

बोर्ड किसी भी समय, बिना विद्यालय को सूचना दिए, एक या एक से अधिक सदस्य की समिति द्वारा संबद्ध विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है।

11.5 **विशेष उद्देश्यों के लिए निरीक्षण :**

बोर्ड किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए या अध्याय 15 के तहत विद्यालय की प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए, एक या एक से अधिक सदस्य की समिति से संबद्ध विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है।

11.6 निरीक्षण रिपोर्ट पर बोर्ड द्वारा उचित कार्रवाई के लिए विचार किया जाएगा।

11.7 **निरीक्षण समिति के लिए दिशानिर्देश :**

11.7.1 विद्यालयों का निरीक्षण एक गोपनीय कार्य है और सदस्यों को दी गई सभी जानकारी एक विश्वास के आधार पर प्रदान की जाती है। सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी जानकारी अत्यंत सावधानी के साथ संभालेंगे (गोपनीयता रखेंगे)।

11.7.2 सदस्यों से अपेक्षित है कि वे संबद्धता उपविधियों, परीक्षा उपविधियों और बोर्ड के अन्य निर्देशों को पढ़ें, ताकि संबद्धता क्यों आवश्यक है, इसे समझ सकें।

11.7.3 निरीक्षण समिति के सदस्य दी गई जानकारी को किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करने से परहेज करें।

11.7.4 सदस्य यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय का निरीक्षण कार्य दिवस पर किया जाए, जब विद्यालय में वास्तविक शिक्षण हो रहा हो। किसी भी परिस्थिति में अवकाश के दिन निरीक्षण न किया जाए और न ही अवकाश के दिन छात्रों को विद्यालय बुलाया जाए।

11.7.5 सदस्यों को आवश्यकतानुसार विद्यालय से पहले संपर्क करना चाहिए, ताकि विद्यालय निरीक्षण के लिए आवश्यक तैयारियाँ कर सके।

11.7.6 औचक निरीक्षण (सरप्राइज इंस्पेक्शन) के मामले में सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय को किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण की पूर्व सूचना न दी जाए।

11.7.7 सदस्यों को कार्य को यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए, लेकिन पत्र में उल्लिखित समय सीमा से अधिक समय नहीं लगे।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

11.7.8 यदि निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, तो सदस्य यह सुनिश्चित करें कि उन्हें दिए गए *लॉगिन क्रेडेंशियल्स* किसी के साथ साझा न किए जाएँ।

11.7.9 सदस्य सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन करें और कक्षाओं में छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षण प्रक्रिया पर सावधानीपूर्वक टिप्पणी करें।

11.7.10 सदस्य प्रयास करें कि आवेदन पत्र में जिन दस्तावेज़ों की कमी है, उन्हें एकत्रित कर अपलोड किया जाए या भेजा जाए।

11.7.11 सदस्य *ऑनलाइन/ऑफ़लाइन रिपोर्ट प्रोफार्मा* में जानकारी स्वयं भरें और निरीक्षण किए जा रहे विद्यालय से किसी भी प्रकार की सहायता न लें। रिपोर्ट को दी गई समय सीमा के भीतर ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

11.7.12 वीडियोग्राफ़ी, निरीक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। निरीक्षण समिति के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया में बुनियादी ढाँचा, कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान, बाउंड्री वॉल, हवाई दृश्य (एरिअल व्यू) आदि शामिल हों और इसे बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से अपलोड किया जाए या भेजा जाए।

11.7.13 सदस्य अत्यंत सावधानी बरतें और अंतिम रिपोर्ट में सिफारिशें केवल बुनियादी ढाँचे, प्रशासन और शैक्षणिक मुद्दों पर विचार करने के बाद ही करें।

11.7.14 निरीक्षण समिति बोर्ड की आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण की तारीख से तीन (03) कार्य दिवसों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत न करने की स्थिति में समिति के सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

11.7.15 सदस्यों को उच्च मानकों की नैतिकता, सदाचार और सत्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। सदस्यों को विद्यालयों से किसी भी प्रकार की आतिथ्य सेवा या पेशकश स्वीकार नहीं करना चाहिए।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 12

दंड

12.1 यदि कोई विद्यालय बोर्ड के संबद्धता नियमों/परीक्षा नियमों का उल्लंघन करता है या बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बोर्ड निम्नलिखित दंड लगा सकता है:

12.1.1 लिखित चेतावनी

12.1.2 विद्यालय का माध्यमिक स्तर 12वीं से माध्यमिक स्तर 10वीं पर *डाउनग्रेडिंग*।

12.1.3 विद्यालय में अनुभागों की संख्या सीमित करना।

12.1.4 बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को प्रायोजित करने से दो वर्षों तक प्रतिबंधित करना।

12.1.5 निर्धारित अवधि के लिए संबद्धता निलंबित करना।

12.1.6 पाँच वर्षों तक संबद्धता के लिए आवेदन करने या नवीनीकरण/संबद्धता बहाल करने से विद्यालय को प्रतिबंधित करना।

12.1.7 किसी विशिष्ट विषय/विषयों या संकाय (Stream) में संबद्धता का निरस्तीकरण।

12.1.8 संबद्धता की वापसी।

12.1.9 क्षति की वसूली के लिए दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत।

12.1.10 बोर्ड द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई।

12.2 बोर्ड निम्नलिखित मामलों में किसी भी विद्यालय पर क्लॉज 12.1.1 से 12.1.10 में उल्लिखित सभी या किसी भी दंड को लागू कर सकता है:

12.2.1 परीक्षा, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में गंभीर कदाचार करना।

12.2.2 न्यायालय, केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार और/या बोर्ड के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन या अनुपालन न करना।

12.2.3 संबद्धता उपनियमों में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में। ।

12.2.4 संबद्धता उपनियमों में निर्धारित आवश्यक आवश्यकताओं में कमियाँ, जो किसी भी स्तर पर पाई गई हों।

12.2.5 राज्य सरकार द्वारा मान्यता वापस लेने की स्थिति में।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

12.2.6 राज्य सरकार द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOC) को वापस लेने की स्थिति में।

12.2.7 केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालय को स्थायी रूप से बंद करने, असंबद्ध करने या अन्य दंड लगाने की सिफारिश/आदेश/अनुरोध की स्थिति में।

12.2.8 केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से संदर्भ/आदेश/अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में।

12.2.9 बोर्ड के उपनियमों के अनुसार शिक्षकों/प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण के लिए न भेजने की स्थिति में।

12.2.10 बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अन्य सहायक गतिविधियों के लिए शिक्षकों/प्रधानाचार्य/स्टाफ को नामांकित और मुक्त न करने की स्थिति में।

12.2.11 परीक्षा उपविधियों का कोई उल्लंघन, लापरवाही, कार्य/चूक और अनुपालन न करना (जिसमें परीक्षाओं के संचालन से संबंधित बोर्ड के निर्देशों की अवज्ञा शामिल है) जिससे सार्वजनिक परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों को खतरा हो सकता है।

12.2.12 विद्यालय के कर्मचारी या विद्यालय प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा, जो विद्यालय या इसे चलाने वाली ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी के नियंत्रण में हैं, बोर्ड द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम प्रसंस्करण और अन्य सहायक गतिविधियों से संबंधित किसी भी निर्देश (स्पष्ट या निहित) का उल्लंघन करने पर।

12.2.13 विद्यालय, प्रधानाध्यापक या विद्यालय स्थापित करने या चलाने वाली ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी द्वारा इन उपविधियों में या समय-समय पर जारी निर्देशों में दी गई उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर।

12.2.14 क्लॉज 7.4 में छात्रों को शुल्क वापस करने के प्रावधान का उल्लंघन।

12.2.15 लगातार तीन वर्षों तक विद्यालय का खराब शैक्षणिक प्रदर्शन या सामान्य उत्तीर्ण प्रतिशत का कम-से-कम 75% बनाए रखने में असमर्थता की स्थिति में।

12.2.16 किसी अन्य मामले में, जिसे बोर्ड दंड लगाने या असंबद्धता के लिए पर्याप्त गंभीर (sufficiently serious) मानता है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 13

दंड लगाने की प्रक्रिया

13. बोर्ड को इस अध्याय में वर्णित तरीके से अध्याय 12 में उल्लिखित दंड लागू करने का अधिकार होगा।

13.1 क्लॉज 12.1.1 से 12.1.10 में परिभाषित दंड एक साथ या क्रमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं।

13.2 बोर्ड किसी मामले में तथ्यों की पुष्टि और सबूत एकत्र करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

13.2.1 विद्यालय से रिपोर्ट या स्पष्टीकरण माँगना।

13.2.2 अन्य प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से टिप्पणियाँ या रिपोर्ट माँगना।

13.2.3 विद्यालय का औचक निरीक्षण कराना।

13.2.4 तथ्यों की पुष्टि के लिए कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई करना।

13.3 तथ्यों की पुष्टि के बाद, बोर्ड विद्यालय को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करेगा, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई के कारण बताए जाएँगे।

13.4 विद्यालय को नोटिस प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया और यदि हो, तो प्रासंगिक दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

13.5 यदि निर्धारित समयावधि में विद्यालय से कोई प्रतिक्रिया/पालन/टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, तो बोर्ड उपलब्ध सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।

13.6 बोर्ड विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया की जाँच उपलब्ध रिकॉर्ड और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर करेगा और शिकायत बंद करने या दंड लगाने की कार्रवाई इन उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार करेगा।

13.7 बोर्ड विद्यालय पर लगाए गए दंड और उसकी शर्तों के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करेगा।

13.8 यदि लगाए गए दंड में असंबद्धता शामिल है, तो विद्यालय का नाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध असंबद्ध विद्यालयों की सूची में जोड़ा जाएगा।

13.9 संबद्धता वापस लेने की जानकारी संबंधित राज्य सरकार को भी दी जाएगी।

13.10 बोर्ड द्वारा दंड लगाए जाने के आदेश के विरुद्ध विद्यालय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। विद्यालय को केवल एक बार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

13.11 यदि दंड में जुर्माना शामिल है, तो केवल जुर्माना जमा करने और इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।

13.12 अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, बोर्ड उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

13.13 एक बार जब विद्यालय का अभ्यावेदन विचाराधीन हो गया और बोर्ड द्वारा उपयुक्त आदेश पारित कर दिए गए, तो बोर्ड द्वारा आगे कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13.14 विद्यालय पर दंड लगाने के समय विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य और हित को ध्यान में रखा जाएगा।

13.15 यदि किसी विद्यालय को असंबद्ध किया गया या अवनत किया गया, तो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में पहले से पढ़ रहे छात्रों को संबंधित बैचों में उसी विद्यालय से या बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य विद्यालय से परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।

13.16 दंड से संबंधित प्रावधानों वाले सभी क्लॉज नियमित संबद्धता के मामलों में यथासंभव लागू होंगे।

13.17 क्लॉज 12.2.5, 12.2.6, 12.2.7, 12.2.8 और 12.2.9 में उल्लिखित मामलों में, बोर्ड विद्यालय को क्लॉज 13.3 के तहत कोई नोटिस दिए बिना संबद्धता वापस ले सकता है।

13.18 **संबद्धता निरस्त करना :**

13.18.1 बोर्ड, किसी शिकायत पर या अन्यथा, संबंधित विद्यालय की ऐसी जाँच या निरीक्षण कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे, और यदि संतुष्ट हो कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो निम्नलिखित मामलों में से किसी में भी उस डोमेन क्षेत्र संस्थान को दी गई संबद्धता रद्द कर सकता है:

(क) जहाँ बोर्ड की राय में उस डोमेन क्षेत्र संस्थान आदि ने इन उपविधियों या उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या संबद्धता की शर्तों और नियमों का उल्लंघन किया है;

(ख) जहाँ उस डोमेन क्षेत्र संस्थान आदि ने गंभीर वित्तीय अनियमितता या कदाचार किया है;

(ग) जहाँ उस डोमेन क्षेत्र संस्थान आदि ने अपने बुनियादी ढाँचे, शैक्षणिक सुविधाओं, शिक्षकों, शिक्षण के स्तर या शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में विज्ञापन, वेबसाइट या अन्यथा झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान की है, यह जानते हुए कि वह गलत है;

(घ) जहाँ उस डोमेन क्षेत्र संस्थान आदि ने अपने कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करने में विफलता प्रदर्शित की है, या बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, या बोर्ड द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त अवधि के भीतर यह दिखाने में विफल रहा है कि वह इन नियमों या उनके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत लगाए गए कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से निभाने की स्थिति में है;

(ङ) जहाँ उस डोमेन क्षेत्र संस्थान आदि का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

13.18.2 किसी डोमेन एरिया जहाँ संस्थान आदि को दी गई संबद्धता को उप-क्लॉज (1) के तहत तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, जब तक बोर्ड ने संबंधित डोमेन एरिया संस्थान आदि को लिखित रूप में कम-से-कम 30 दिनों का स्पष्ट नोटिस न दिया हो, जिसमें संबद्धता निरस्त करने का आधार बताया गया हो और उस नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर उस डोमेन एरिया संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया या कारण पर विचार न कर लिया गया हो।

13.18.3 जहाँ बोर्ड इस क्लॉज के तहत किसी डोमेन एरिया संस्थान आदि को दी गई संबद्धता को निरस्त करता है, वहाँ यह एक तारीख निर्धारित करेगा, जब यह निरस्त प्रभावी होगा और उस डोमेन एरिया संस्थान आदि को संबद्धता निरस्त करने का आदेश प्रदान करेगा। यह निरस्तीकरण अन्य किसी लागू कानून के तहत उस डोमेन एरिया संस्थान आदि के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को प्रभावित किए बिना होगा।

13.18.4 यह प्रावधान किया गया है कि बोर्ड संबद्धता निरस्त करने के बजाय, इसे अतिरिक्त शर्तों के साथ लागू रहने की अनुमति दे सकता है। जब ऐसा किया जाएगा, तो ये अतिरिक्त शर्तें उस डोमेन एरिया संस्थान आदि पर बाध्यकारी होंगी और ऐसे ही प्रभावी होंगी जैसे वे संबद्धता प्रदान करने के आदेश में सम्मिलित हों।

13.18.5 बोर्ड संबद्धता निरस्त करते समय संबंधित डोमेन एरिया संस्थान आदि के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करेगा या कराएगा।

13.18.6 बोर्ड अपनी वेबसाइट पर इस क्लॉज के तहत शुरू की गई सभी कार्रवाइयों का विवरण, संबद्धता निरस्त करने का अंतिम निर्णय, उसके सभी दस्तावेज़ों और निर्णय के कारण प्रकाशित करेगा।

13.18.7 बोर्ड इन उपविधियों के तहत विद्यालय/पाठशाला आदि को दी गई संबद्धता को उसके बुनियादी ढाँचे या मानव संसाधनों की कमी, या नियमन द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य आधार पर वापस ले सकता है।

BHARTIYA SHIKSHA

अध्याय 14

सामान्य प्रावधान

14. ये नियम बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों पर पूरी तरह से लागू होते हैं। बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों पर इनका अनुपालन संभव सीमा तक ही लागू है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर इन उपनियमों में निर्धारित दंड लागू होंगे।

14.1 हर विद्यालय को बोर्ड के यथोचित परिवर्तन सहित उपनियमों का पालन करना आवश्यक है।

14.2 **बोर्ड की परीक्षा :**

प्रत्येक संबद्ध विद्यालय के लिए यथोचित परिवर्तन सहित बोर्ड की परीक्षा के उपनियमों का पालन करना अनिवार्य है।

14.2.1 हर संबद्ध विद्यालय को एक शैक्षिक सत्र की शुरुआत के समय कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों की संख्या और उनके विवरण बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करनी होगी।

14.2.2 कोई भी संबद्ध विद्यालय उन उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो विद्यालय के रजिस्टर में नहीं हैं।

14.2.3 कोई भी संबद्ध विद्यालय उन उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो किसी असंबद्ध विद्यालय/शाखा में नामांकित हैं।

14.2.4 कोई भी संबद्ध विद्यालय उन उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं करेगा जो विद्यालय के रजिस्टर में हैं, लेकिन नियमित रूप से विद्यालय नहीं गए हैं या बोर्ड की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।

14.2.5 प्रत्येक संबद्ध विद्यालय को नियमित रूप से अपने वास्तविक और योग्य छात्रों को बोर्ड कक्षा 8वीं, 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए बिना किसी रुकावट के प्रायोजित करना होगा, जैसा कि संबद्धता/उन्नयन के समय निर्धारित किया गया था। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो समय पर लिखित रूप से इसके कारणों के बारे में सूचित करना होगा।

14.2.6 बोर्ड से संबद्ध विद्यालय किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए उम्मीदवार नहीं भेजेगा। यह केवल भारतीय शिक्षा बोर्ड के उच्च प्राथमिक माध्यमिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को तैयार करेगा।

BHARTIYA SHIKSHA

14.3 बोर्ड किसी सार्वजनिक परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा के लिए विद्यालय को केंद्र के रूप में चुन सकता है। चाहे विद्यालय ने इस असाइनमेंट को स्वीकार किया हो या नहीं। यदि बोर्ड ने किसी विद्यालय को किसी सार्वजनिक परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र के रूप में चुना है, तो विद्यालय को आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करना होगा, जैसे कि स्ट्रांग रूम, न्यूनतम IT संरचना आदि या बोर्ड द्वारा सूचित कोई अन्य अनिवार्य आवश्यकताएँ।

14.4 संबद्ध संस्थानों की इमारत और फर्नीचर को बोर्ड के लिए किसी भी परीक्षा आयोजन और स्थल मूल्यांकन के लिए मुफ़्त में उपलब्ध कराना होगा। प्रबंधन और प्रधानाचार्य को बोर्ड के साथ परीक्षा के आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और अन्य सहायक गतिविधियों में सहयोग करना होगा। यदि बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया हो, तो विद्यालय को सभी विषयों के लिए परीक्षक के रूप में काम करने के लिए शिक्षकों और प्रधानाचार्य को प्रदान करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो बोर्ड के पास विद्यालय के असंबद्धता के लिए उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

14.5 विद्यालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसमें नाम, पता, ईमेल, टेलीफ़ोन नंबर, संबद्धता की स्थिति, संबद्धता की अवधि, आधारभूत संरचना का विवरण, शैक्षिक कैलेंडर, शिक्षकों का विवरण, शिक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण, शैक्षिक उपलब्धियाँ, पर्यावरण शिक्षा, खेल उपलब्धियाँ, नवाचार, समग्र परिणाम, पीटीए गतिविधियाँ, महत्वपूर्ण एसएमसी निर्णय, छात्रों की संख्या आदि की जानकारी हो और इसे विद्यालय की वेबसाइट पर 15 सितंबर से पहले पोस्ट करना होगा। (यह जानकारी आवश्यकता अनुसार अद्यतन की जानी चाहिए।)

14.6 विद्यालय को छात्रों का वार्षिक चिकित्सा-परीक्षण कम-से-कम एक बार करना होगा और उसका उचित रिकॉर्ड रखना होगा। आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट विद्यालय भवन के प्रत्येक तल पर उचित रूप से प्रदान की जानी चाहिए।

14.7 विद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा, जिसमें राष्ट्रीय एकता पर विशेष ज़ोर दिया गया हो, छात्रों को विभिन्न विषयों और गतिविधियों के माध्यम से सिखाई जाए।

14.8 छात्रों में देशभक्ति और सेवा का दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए एनसीसी/एनएसएस/स्काउट्स और गाइड्स को विद्यालय में शामिल किया जा सकता है। इससे पहले कि विद्यालय संबद्धता के लिए आवेदन करे विद्यालय में इनमें से कोई एक गतिविधि होनी चाहिए।

14.9 **बीएसबी खेल और क्रीड़ा (Sports & Games)**

14.9.1 सभी विद्यालय जो बोर्ड से संबद्ध हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर-विद्यालय खेल और क्रीड़ा प्रतियोगिता के नियमों का पालन करेंगे।

14.9.2 कोई भी विद्यालय, जो बोर्ड से संबद्ध है, उन उम्मीदवारों को भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर-विद्यालय खेल और क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नहीं भेजेगा, जो विद्यालय के रजिस्टर में नहीं हैं।

BHARTIYA SHIKSHA

14.9.3 कोई भी विद्यालय जो बोर्ड से संबद्ध है और भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर-विद्यालय खेल और क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करता है, वह उन उम्मीदवारों को अनुमति नहीं देगा जिनका नामांकन भाग लेने वाले विद्यालयों के रजिस्टर में नहीं हैं।

14.9.4 **क्रीड़ा शुल्क** : यह सभी स्वतंत्र श्रेणी के विद्यालयों के लिए अनिवार्य है कि वे बोर्ड को भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक क्रीड़ा शुल्क जमा करें।

14.10 विद्यालय भवन का उपयोग सीमित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे— शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल है, लेकिन विद्यालय अपनी इमारत और बुनियादी ढाँचे का किसी वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं करेगा।

14.11 विद्यालय के पास कक्षाओं और कार्यालय में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की संख्या के अनुसार उपयुक्त फ़र्नीचर और उपकरण होने चाहिए।

14.12 कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। कक्षा के एक अनुभाग में आदर्श संख्या 40 होनी चाहिए।

14.13 विद्यालय में सभी विषयों के लिए प्रयोगशालाएँ होनी चाहिए, जहाँ भी आवश्यक हो। प्रयोगशालाओं में रखे गए उपकरण, रसायन और नमूने आदि लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

14.14 जो विद्यालय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हैं, वे अनुबंध या अंशकालिक आधार पर विशेषज्ञ/शिक्षक को नियुक्त कर सकते हैं और समान विषय में विशेषज्ञता रखने वाले प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त संस्थानों और उद्योगों के साथ संसाधन साझा कर सकते हैं।

14.15 **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार**

14.15.1 विद्यालय *व्हीलचेयर* उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों में रैंप, लिफ्टों में श्रवण संकेत और 'दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016' के प्रावधानों के अनुसार अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ प्रदान करेगा।

14.15.2 विद्यालय 'दिव्यांग व्यक्तियों का पुनर्वास (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के प्रावधानों के अनुसार सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के समावेशन को बढ़ावा देगा।

14.16 जिन विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता दी गई है, उन्हें बोर्ड को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा, जो समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। वार्षिक शुल्क वार्षिक परीक्षा शुल्क के साथ या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य तरीके से जमा किया जाएगा।

14.17 प्रत्येक विद्यालय को केंद्रीय सरकार, राज्य/संघ राज्य सरकार और बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और परामर्श का पालन करना होगा।

14.18 विद्यालय को बोर्ड द्वारा माँगी गई जानकारी और विवरण समय पर प्रदान करने होंगे।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

14.19 **रिकॉर्ड/दस्तावेज़**

विद्यालय को निम्नलिखित रिकॉर्ड/दस्तावेज़ रखना होगाः

14.19.1 प्रवेश और निकासी रजिस्टर।

14.19.2 वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का संग्रहण अगले शैक्षिक वर्ष के सितंबर अंत तक किया जाएगा, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल होंगे।

14.19.3 सभी छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, विशेष रूप से कक्षा 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं की उपस्थिति का रिकॉर्ड (जहाँ लागू हो) बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश के उद्देश्य से, इन रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ ठीक से जाँची जाएँगी और प्रधानाचार्य या उनके द्वारा नामाँकित शिक्षक द्वारा हस्ताक्षरित की जाएँगी।

14.19.4 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सेवा *रिकॉर्ड*, जिनमें नियुक्ति पत्र, पुष्टि पत्र, सेवा पुस्तिकाएँ और अन्य सेवा-संबंधी पत्राचार शामिल हैं।

14.19.5 वित्तीय दस्तावेज जो इन उपनियमों में निर्दिष्ट हैं।

14.19.6 विद्यालय द्वारा वार्षिक ई-रिटर्न system (OASIS) और शिक्षा के लिए एकीकृत U-DISE (CBSE के अनुसार) पोर्टल पर निर्धारित तिथियों के अनुसार वार्षिक ई-रिटर्न।

14.19.7 कोई अन्य दस्तावेज़, जो कानूनी दायित्वों के तहत या बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।

14.19.8 कोई अन्य दस्तावेज़, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए हों।

14.20 विद्यालय के प्रबंधन या संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या इकाई को परीक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा या किसी अन्य गोपनीय/सहायक गतिविधि से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति या एजेंसी को साझा करने की अनुमति नहीं है।

14.21 विद्यालय के प्रबंधन या संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति या इकाई को बोर्ड की शैक्षिक या परीक्षा नीतियों के मामले में छात्रों और अभिभावकों के मन में भ्रम उत्पन्न करने या बोर्ड को बदनाम करने की अनुमति नहीं है।

14.22 जो विद्यालय पहले किसी अन्य बोर्ड से संबद्ध हैं और BSB से संबद्धता प्राप्त कर रहे हैं, यदि यह पाया जाता है कि विद्यालय की कक्षाओं के कमरे बोर्ड के इन उपनियमों द्वारा निर्धारित आकार से छोटे हैं, तो बोर्ड कक्षा में छात्रों की संख्या सीमित कर सकता है।

14.23 बोर्ड द्वारा विद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के समय विद्यालय की किसी भी भूमि का हिस्सा जो *रिकॉर्ड* में ले लिया गया हो, बिना बोर्ड की अनुमति के विद्यालय की भूमि से नहीं हटाया जाएगा।

14.24 विद्यालय सभी केंद्रीय/राज्य अधिनियमों, स्थानीय और विशेष कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और नियमों/विनियमों का पालन करेगा।

14.25 विद्यालय को (जेंडर) हिंसा की जाँच करनी होगी; बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा के तहत अधिनियम-2012

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

(पोस्को अधिनियम), कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम-2013 और अन्य संघ और राज्य अधिनियमों में निर्दिष्ट निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

14.26 **पर्यावरण शिक्षा**

विद्यालय को परिसर में वर्षा जल संचयन, कचरे का पृथक्करण, जैविक कचरे का पुनः चक्रण, कचरे का उचित निपटान, ऊर्जा-बचत और ऊर्जा-प्रभावी विद्युत उपकरणों का उपयोग, हरियाली का संवर्धन, सौर और अन्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग, छात्रों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा।

14.27 विद्यालय को बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों को उनकी पदस्थापना या प्रारंभिक नियुक्ति पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में विद्यालय में प्रवेश प्रदान करना होगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

विशेष प्रावधान

15. निम्नलिखित नियम सभी संबद्ध विद्यालयों पर लागू होंगे। विशेष परिस्थितियों (उपनियमों में विशिष्ट रूप से वर्णित) को छोड़कर निम्नलिखित नियम सभी संबद्ध विद्यालयों पर प्रभावी/लागू होंगे:

15.1 **फ्रेंचाइजी विद्यालय**

एक विद्यालय जो बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करना चाहता है या पहले से संबद्ध है, वह केवल शैक्षणिक सहायता, शैक्षणिक मार्गदर्शन, मानव संसाधन के प्रशिक्षण और अतिरिक्त सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक फ्रेंचाइजर के साथ समझौता कर सकता है।

15.2 **सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से विद्यालय का स्थानान्तरण**

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय को बिना बोर्ड की अनुमति के एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरे सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है।

स्थानान्तरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

15.2.1 एक विद्यालय को एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरे सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकती है यदि:

(क) विद्यालय के अस्तित्व को खतरा हो, या

(ख) सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी के लिए विद्यालय चलाना असंभव हो या

(ग) शिक्षा के उद्देश्यों के लिए ऐसा स्थानान्तरण आवश्यक हो।

15.2.2 विद्यालय के अनुरोध पर केवल राज्य/संघ शासित सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही विचार किया जाएगा।

15.2.3 एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरे सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में विद्यालय का स्थानान्तरण की अनुमति केवल इन उप-नियमों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के बाद ही दी जाएगी।

15.2.4 विद्यालय से एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरी सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में स्थानान्तरित करने की अनुमति के लिए परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क वसूली जाएगी।

15.2.5 विद्यालय को एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरी सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में स्थानान्तरित करने की अनुमति के अनुरोध पर केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए विचार किया जाएगा, जो कम-से-कम तीन वर्षों से बोर्ड से संबद्ध हैं।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

15.2.6 क्लॉज 15.2.5 का प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिक, बुनियादी ढाँचे और अन्य परियोजनाओं के स्थानान्तरण के कारण विद्यालय को एक सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरी सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया हो।

15.2.7 क्लॉज़ 15.2.1 और 15.2.5 के प्रावधान उन विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे, जो क्लॉज 2.1.6 और 2.1.7 के तहत आते हैं, जहाँ विद्यालय के संचालन या प्रबंधन के लिए सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी में परिवर्तन (केंद्र/राज्य) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वैधानिक निकायों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विभागों की नीतियों के अनुसार आवश्यक हो।

15.3 दो पालियों (शिफ्टों) में विद्यालय संचालन

बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना विद्यालय दो पालियों (शिफ्टों) में कक्षाएँ संचालित नहीं करेगा। दो पालियों (शिफ्टों) में कक्षाएँ संचालित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है:

15.3.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से दो पालियों (शिफ्टों) में कक्षाएँ संचालित करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही विद्यालय के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

15.3.2 दो पालियों (शिफ्टों) की अनुमति केवल बोर्ड द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा विद्यालय परिसर के निरीक्षण के बाद ही दी जाएगी।

15.3.3 प्रत्येक शिफ्ट के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के मानकों के अनुसार अलग-अलग शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ होना चाहिए, जिसमें पर्यवेक्षण के लिए अलग-अलग प्रधानाध्यापक या उप-प्रधानाचार्य शामिल हों।

15.3.4 दोनों पालियों (शिफ्टों) के शिक्षकों के लिए अलग-अलग प्रवेश पंजी, उपस्थिति पंजी, और स्टाफ रूम होने चाहिए।

15.3.5 प्रत्येक शिफ्ट में पढ़ाई का समय अध्ययन योजना के अनुसार होना चाहिए, और दोनों पालियों (शिफ्टों) के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर होना चाहिए।

15.3.6 सामान्यत:, विद्यालय जूनियर कक्षाओं को सुबह की शिफ्ट में और सीनियर कक्षाओं को शाम की शिफ्ट में संचालित करेगा। यदि विद्यालय इसके विपरीत संचालन करना चाहता है, तो इसके लिए राज्य सरकार से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।

15.3.7 दो पालियों (शिफ्टों) में संचालन की अनुमति के लिए परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क वसूली जाएगी।

15.4 विद्यालय का एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरण

विद्यालय केवल उसी पते/परिसर से कक्षाएँ संचालित करेगा जिस पर संबद्धता प्रदान की गई है। दूसरे पते/परिसर में स्थानान्तरण के लिए बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। स्थानान्तरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो सकता है:

15.4.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से नए स्थान पर विद्यालय स्थानान्तरित करने की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही विद्यालय के अनुरोध पर विचार किया ज़ाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA

15.4.2 नए स्थान पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम या संबद्धता संख्या का उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही पुराने स्थान पर कोई शाखा संचालित की जाएगी, यह पुष्टि करने के लिए एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15.4.3 नए स्थान/परिसर का निरीक्षण बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद ही स्थानान्तरण की अनुमति दी जाएगी।

15.4.4 नये संबद्धताओं के लिए लागू बुनियादी ढाँचे के संबंध में इन उप-नियमों के अनुसार अन्य सभी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा।

15.4.5 परिसर स्थानान्तरण की अनुमति के लिए परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क वसूली जाएगी।

15.5 **विद्यालय के नाम में परिवर्तन**

बोर्ड से संबद्ध कोई विद्यालय निम्नलिखित शर्तों और दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद नाम बदलने की अनुमति प्राप्त कर सकता है:

15.5.1 विद्यालय का संचालन करने वाली सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा इस संबंध में पारित प्रस्ताव या संबंधित सरकारी निकाय की स्वीकृति।

15.5.2 सरकार से विशेष स्वीकृति।

15.5.3 यह सुनिश्चित करने के लिए एक शपथ पत्र के पुराने नाम का अब और उपयोग नहीं किया जाएगा।

15.5.4 विद्यालय के नाम परिवर्तन की अनुमति भूमि स्वामित्व और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की वैधता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार से प्राप्त मंजूरी पर निर्भर होगी।

15.5.5 नाम परिवर्तन की अनुमति के लिए परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क वसूली जाएगी।

15.6 **सोसायटी के नाम में परिवर्तन**

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय का संचालन करने वाली सोसायटी, निम्नलिखित शर्तों और दस्तावेज़ी प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद, अपने नाम में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त कर सकती है:

15.6.1 सरकार से विशेष स्वीकृति।

15.6.2 सक्षम पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र, जिसमें पंजीकरण संख्या सहित रिकॉर्ड में नाम परिवर्तन का उल्लेख हो।

15.6.3 नाम परिवर्तन की अनुमति के लिए परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क वसूली जाएगी।

15.7 **कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन**

बोर्ड से संबद्ध विद्यालय इन नियमों में दिए गए प्रावधानों और बोर्ड द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुसार ही छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश देंगे, हालाँकि विद्यालय बोर्ड से कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षाओं की संख्या बढ़ाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

15.7.1 विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर, परिशिष्ट-I में दी गई शुल्क के साथ, कक्षाओं की संख्या बढ़ाने के लिए आवेदन करेंगे।

15.7.2 बोर्ड सुविधाओं की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निरीक्षण कर सकता है।

15.7.3 विद्यालय स्वीकृति प्राप्त किए बिना, यहाँ तक कि आवेदन लंबित होने की स्थिति में भी कक्षाओं की संख्या स्वयं नहीं बढ़ा सकता।

15.7.4 कक्षाओं की संख्या बढ़ाने की अनुमति विद्यालय में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे के आधार पर तय की जाएगी।

15.8 कुछ मामलों में पुनः संबद्धता का अनुदान

15.8.1 जहाँ बोर्ड ने क्लॉज (12.2.4) के तहत संबद्धता रद्द कर दी है, वहाँ ऐसा संस्थान पुनः संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है। बोर्ड निरीक्षण करेगा और यदि यह संतोषजनक पाया गया कि संस्थान ने आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की है, तो इसे पुनः संबद्धता प्रदान की जा सकती है।

15.8.2 बोर्ड द्वारा इस उपधारा(1) के तहत लिए गए निर्णय को उसकी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

15.8.3 निष्कासित और डाउनग्रेड किए गए विद्यालयों की संबद्धता की पुनः संबद्धता के अनुरोध निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

15.8.3.1 पुनः संबद्धता के लिए आवेदन परिशिष्ट-I में दिए गए शुल्क के साथ करना होगा।

15.8.3.2 बोर्ड विद्यालय के अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले निरीक्षण कर सकता है।

15.8.3.3 यह अनुरोध बोर्ड द्वारा पूर्व में संबद्धता/परीक्षा नियमों और रद्द किए गए संबद्धता के आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा।

15.8.3.4 बोर्ड यदि उपयुक्त समझे, तो विद्यालय की संबद्धता को डाउनग्रेड की स्थिति में पुनः बहाल कर सकता है।

15.8.3.5 किसी भी विद्यालय को निष्कासन/डाउनग्रेडिंग आदेश में दिए गए निर्देशों के विपरीत कक्षाएँ प्रारंभ/संचालित करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि आवेदन लंबित रहने के दौरान भी।

15.8.3.6 यदि बोर्ड द्वारा निष्कासन/*डाउनग्रेडिंग* आदेश वापस नहीं लिया गया है, तो जमा किया गया शुल्क न तो वापस किया जाएगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

15.9 कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं के लिए पहले से संबद्ध/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए बालवाटिका से कक्षा 8 तक की कक्षाओं को संचालित करने हेतु पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम की स्वीकृति

कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं को संचालित करने के लिए बोर्ड से संबद्ध विद्यालय बालवाटिका से कक्षा 8 तक की कक्षाएँ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद शुरू कर सकते हैं। इस संदर्भ में विद्यालय के आवेदन से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित के अधीन होंगे:

15.9.1 बोर्ड विद्यालय के अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले निरीक्षण कर सकता है।

15.9.2 कक्षा 8 तक की कक्षाएँ संचालित करने का अनुरोध, अनुलग्नक-I में दी गई आवश्यक शुल्क के जमा करने और अनुलग्नक-7 फॉर्म प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

BHARTIYA ... ARD

15.9.3 विद्यालय, राज्य के शिक्षा विभाग से बालवाटिका से कक्षा 8 तक की कक्षाओं के लिए आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त करेगा और इसे बोर्ड के समक्ष आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

15.9.4 विद्यालय बालवाटिका से कक्षा 8 तक की कक्षाएँ उसी परिसर में संचालित करेगा, जहाँ उच्च कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं और जिस पते पर संबद्धता प्रदान की गई थी।

15.10 विद्यालय को बंद करना

बोर्ड से संबद्ध किसी भी विद्यालय को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बोर्ड की स्वीकृति से स्थायी रूप से बंद करने की अनुमति दी जा सकती है:

15.10.1 इस संदर्भ में विद्यालय चलाने वाली सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी द्वारा पारित एक प्रस्ताव या केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम, सांविधिक निकाय, स्वायत्त निकाय और सरकारी विभाग (जो भी लागू हो) की स्वीकृति, जिसमें बंद होने के कारणों का उल्लेख हो।

15.10.2 उपयुक्त सरकार से स्पष्ट स्वीकृति।

15.10.3 विद्यालय बंद करने की अनुमति का अनुरोध केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए माना जाएगा, जो कम-से-कम तीन (03) वर्षों से बोर्ड से संबद्ध हैं।

15.10.4 बंद होने की स्वीकृति की स्थिति में सत्र सहित, अगले तीन (03) सत्रों के लिए विद्यालय को बोर्ड से संबद्धता के लिए आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।

15.10.5 विद्यालय यह शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह वर्तमान बुनियादी ढाँचे और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों को बनाए रखेगा, ताकि 9, 10, 11 और 12 कक्षा के छात्रों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार कर सके।

15.10.6 बंद करने की अनुमति के लिए विद्यालय से, अनुलग्नक-I में दिए गए अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

15.11 समीपवर्ती विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग

बोर्ड से संबद्ध प्रत्येक विद्यालय, 2 किमी के दायरे में स्थित सरकारी विद्यालयों/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को शैक्षणिक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

15.12 संबद्धता की शर्तों में परिवर्तन:

15.12.1 छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, बोर्ड अपने स्वयं के विवेक से या विद्यालय द्वारा किए गए आवेदन पर संबद्धता की शर्तों में ऐसे परिवर्तन कर सकता है, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया हो।

15.12.2 यदि संबद्धता की शर्तों में परिवर्तन विद्यालय के आवेदन के बिना प्रस्तावित किया गया है, तो बोर्ड प्रस्तावित परिवर्तनों को अपनी वेबसाइट पर और नियमन द्वारा निर्दिष्ट अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।

15.12.3 बोर्ड किसी भी परिवर्तन को लागू नहीं करेगा, जब तक कि पहले उपबंध के तहत प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया गया हो और जहाँ आवश्यक हो, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

15.12.4 यदि बोर्ड संबद्धता की शर्तों में कोई भी परिवर्तन करने का निर्णय लेता है, तो वह इस निर्णय को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 16

शिक्षकों का सेवा के दौरान प्रशिक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन

16.1 **वार्षिक प्रशिक्षण**

प्रत्येक संबद्ध विद्यालय को अपने सभी शिक्षकों के लिए प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना होगा:

16.1.1 प्रत्येक विद्यालय को प्रत्येक शिक्षक के लिए 3 दिनों का इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर आयोजित करना होगा।

16.1.2 प्रत्येक विद्यालय को अपने शिक्षकों के लिए कम-से-कम 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जो प्राथमिक रूप से बोर्ड के सहयोग से या केंद्रीय/संघ राज्य/राज्य/क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय शिक्षा बोर्ड या केंद्र/राज्य आईटी प्रशिक्षण प्लेटफार्मों, जैसे— दीक्षा या स्वयम के माध्यम से हो सकता है। विद्यालय इस प्रशिक्षण का आयोजन, स्थापित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की मदद से भी कर सकते हैं और इस संबंध में बोर्ड को सूचित कर सकते हैं।

16.1.3 प्रत्येक विद्यालय को अपने प्रधानाचार्य के लिए कम-से-कम 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, जो प्राथमिक रूप से बोर्ड के सहयोग से या केंद्रीय/संघ राज्य/राज्य/क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हो सकता है।

16.2 **त्रैवार्षिक प्रशिक्षण**

उपनियम 16.1 के प्रावधानों के अतिरिक्त, प्रत्येक विद्यालय को अपने पूरे शिक्षक स्टाफ के लिए कम-से-कम 5 दिनों का पूर्णकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार आयोजित करना होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय को प्राथमिक रूप से बोर्ड के सहयोग से या केंद्रीय/संघ राज्य/राज्य/क्षेत्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित करना चाहिए।

16.3 पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसा कि क्लॉज 16.1 और 16.2 में वर्णित है, सही तरीके से वीडियोग्राफ़ और दस्तावेज़ीकृत किया जाएगा। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण भागीदारी प्रमाणपत्र भी शामिल होंगे और इन *रिकॉर्ड्स* को संबद्धता, उन्नयन, विस्तार आदि के समय, निरीक्षण के दौरान, या बोर्ड द्वारा सत्यापन के लिए माँगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु संरक्षित किया जाएगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

16.4 **प्रशिक्षण बजट:**

16.4.1 प्रत्येक विद्यालय शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त बजट निर्धारित करेगा।

16.4.2 प्रत्येक विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क जमा करेगा।

16.5 **गुणवत्ता मूल्यांकन:**

विद्यालय संचालन के सभी पहलुओं में स्वीकार्य गुणवत्ता स्तर स्थापित करने में सहायता के लिए, बोर्ड गुणवत्ता मूल्यांकन मानदंड निर्धारित कर सकता है और इसके अनुसार विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर सकता है कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुणवत्ता मूल्यांकन (क्वालिटी असेसमेंट) प्रक्रिया से गुजरें।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अध्याय 17

संबद्धता समिति

17.1 संबद्धता समिति के सदस्य, उस तरह के होंगे, जैसा कार्यकारी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

17.2 संबद्धता समिति के पास इन उपनियमों में बदलाव करने के संबंध में सिफ़ारिश करने की शक्ति होगी।

17.3 संबद्धता समिति को इन उपनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों में कार्यवाही के लिए बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों को अपनी शक्तियाँ सौंपने का अधिकार होगा।

17.4 संबद्धता समिति बोर्ड को इन उपनियमों के लागू होने से संबंधित सभी मामलों में सलाह देगी।

17.5 बीएसबी के कार्यकारी बोर्ड की सिफ़ारिश पर प्रशासकीय समिति (*गवर्निंग सोसायटी*) की मंजूरी के बिना इन उपनियमों के प्रावधानों में कोई भी बदलाव प्रभावी नहीं होने दिया जाएगा।

अध्याय 18

व्याख्या (Interpretation), निरसन (Repeal) और बचत (Savings)

18.1 व्याख्या

इन उपनियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय मान्य होगा।

18.2 निरसन और बचत

18.2.1 संबद्धता नियमों और उनके तहत जारी किसी भी अधिसूचना या आदेश को निरस्त कर दिया गया है और इन्हें इन उपनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

18.2.2 उपनियम 18.2.1 में दिया गया निरसन उपनियमों के तहत किए गए किसी भी कार्यवाही, अधिसूचना या आदेश के पूर्व प्रभाव को प्रभावित नहीं करेगा।

18.2.3 इन उपनियमों की शुरुआत से पहले चल रही किसी भी प्रक्रिया को इन उपनियमों के तहत जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा।

18.2.4 इन उपनियमों के प्रारंभ के समय लंबित कोई भी अपील/प्रस्तावना, जो इन उपनियमों के प्रारंभ से पहले पारित आदेश के खिलाफ है, इन उपनियमों के अनुसार ही विचार की जाएगी और उस पर आदेश पारित किया जाएगा, जैसे कि ये आदेश इन उपनियमों के तहत पारित किए गए हों और अपील इन्हीं उपनियमों के तहत दायर की गई हो।

18.2.5 ये उपनियम नकारात्मक नहीं है, जिन्हें ऐसा समझा जाए कि इन उपनियमों के लागू होने से पहले संबंधित व्यक्ति को प्रभावी नियमों, अधिसूचनाओं, या आदेशों के तहत प्राप्त किसी भी अपील/प्रस्तावना के अधिकार से वंचित रखा जाएगा।

18.2.6 इन उपनियमों के प्रारंभ से इन उपनियमों के तहत, पहले पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील या पुनर्विचार आवेदन दायर किया जाएगा, जैसे कि ऐसे आदेश जो इन उपनियमों के तहत पारित किए गए हों।

18.18 मुकदमा दायर करने का क्षेत्राधिकार

18.18.1 सचिव वह कानूनी व्यक्ति होंगे, जिनके नाम पर बोर्ड मुकदमा कर सकता है या उसके खिलाफ मुक़दमा किया जा सकता है।

18.18.2 बोर्ड के खिलाफ मुक़दमों के लिए कानूनी क्षेत्राधिकार केवल हरिद्वार, उत्तराखंड होगा।

टिप्पणी— यह संबद्धता उपनियम अंग्रेज़ी एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध है। हिंदी में संबद्धता उपनियम 2023 एवं अंग्रेजी में AFFILIATION BYE-LAWS 2023 शीर्षक से उपलब्ध है। किसी बिंदु पर विचलन की स्थिति में, अंतिम निर्णय, अंग्रेज़ी में दिए गए AFFILIATION BYE-LAWS 2023 के अनुसार ही होगा।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

परिशिष्ट – I

संबद्धता के विभिन्न मदों के लिए शुल्क

क्र.सं.	शुल्क शीर्षक	शुल्क (INR में)
1	उच्च प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/मिडिल क्लास हेतु पाठ्यक्रम अनुमोदन	21,000
2	नई संबद्धता (माध्यमिक स्तर) कक्षा 9वीं से 10वीं तक	1,25,000
3	नई संबद्धता (माध्यमिक स्तर) कक्षा 9वीं से 12वीं तक	2,00,000
4	अन्य बोर्ड से माध्यमिक स्तर (कक्षा 10वीं तक) पर *स्विच-ओवर*	1,00,000
5	अन्य बोर्ड से माध्यमिक स्तर (कक्षा 12वीं तक) पर *स्विच-ओवर*	1,50,000
6	माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) में उन्नयन	80,000
7	*पुनः निरीक्षण शुल्क	35,000
8	आवधिक निरीक्षण (Periodical)	25,000
9	**आकस्मिक निरीक्षण यदि निरीक्षण किसी शिकायत के आधार पर किया जाता है, जैसे—मान्यता के मानकों का उल्लंघन, किसी गंभीर लापरवाही या कानूनी समस्या के कारण विद्यालय द्वारा नियमों का अनुपालन न करना—तो उस स्थिति में निरीक्षण पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित विद्यालय को वहन करना होगा।	Nil
10	दो पालियों (शिफ्टों) की अनुमति	25,000
11	साइट स्थानान्तरण की अनुमति	25,000
12	विद्यालय/सोसाइटी का नाम बदलने की अनुमति	50,000

BHARTIYA SHIKSHA BOARD
SECRETARY
HARIDWAR

13	***सेक्शन वृद्धि की अनुमति: (क) 9वीं-10वीं या 11वीं-12वीं के लिए अलग-अलग (ख) 9वीं-12वीं के लिए एक साथ	20,000*** 40,000***
14	विद्यालय को एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में स्थानान्तरित करना	2,00,000
15	अतिरिक्त विषयों की अनुमति (निरीक्षण शुल्क अतिरिक्त होगा)	**प्रति विषय 5,000**
16	संबद्धता पुनर्स्थापन (Restoration)	1,00,000
17	वार्षिक शुल्क	5,000
18	विद्यालय बंद करने की अनुमति	50,000

BHARTIYA SHIKSHA BOARD * HARIDWAR * SECRETARY

* 25.08.2025 से रु. 25,000/- से बढ़ाई गई।

** यदि निरीक्षण संबद्धता के मानदंडों के उल्लंघन या स्कूल द्वारा किसी भी मानदंड के अनुपालन में चूक के कारण किसी भी घोर लापरवाही/कानूनी मुद्दे की शिकायत के कारण किया जाता है, तो निरीक्षण का पूरा खर्च संबंधित स्कूल को वहन करना होगा।

*** 25.08.2025 से संशोधित।

नोट: भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के लिए, संबद्धता शुल्क में प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लिखित शुल्क में 50% की कमी की जाएगी।

संबद्धता के लिए आवेदन फॉर्म

भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ विद्यालयों की संबद्धता के लिए आवेदन फॉर्म वेबसाइट www.bsb.org.in पर ऑनलाइन/ऑफलाइन उपलब्ध कराया गया

भाग-I

(क) सामान्य

1. विद्यालय का नाम और पता जैसा कि राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा जारी मान्यता पत्र में उल्लेख किया गया है। (क) राज्य और पिन कोड सहित पूरा पता: (ख) दूरभाष नंबर एसटीडी कोड के साथ: (ग) मोबाइल नंबर: (घ) ईमेल आईडी:	
2. स्थापना का वर्ष	
3. विद्यालय की वर्तमान स्थिति: (क) प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/कक्षा 10वीं या 12वीं (ख) संबद्धता की जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया : (ग) जमा शुल्क की राशि और उसकी तिथि: (घ) लेनदेन आईडी/डीडी संख्या/जमा किए गए शुल्क का बैंक प्रमाण:	
4. (क) क्या विद्यालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में स्थित है ? (ख) यदि हाँ, तो प्रमाणपत्र संलग्न करें।	हाँ/नहीं
5. विद्यालय चलाने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम पूरे पते के साथ। (एक प्रति संलग्न करें, जिसमें एसोसिएशन के ज्ञापन पंजीकरण संख्या और सोसाइटी के सदस्य/न्यासी का विवरण हो)	
6. दिनांक जब तक सोसायटी का पंजीकरण/ट्रस्ट मान्य है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	**अनुलग्नक**
7. क्या विद्यालय प्रबंध समिति के नियमों के अनुसार या भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता उपनियम अध्याय-8 के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें विद्यालय स्थित है,से विधिवत गठित विद्यालय है।	हाँ/नहीं

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

8. प्रबंध समिति के सदस्यों की पूरी सूची नाम सहित पूर्ण विवरण के साथ, पता, व्यवसाय, पदनाम, सदस्यता की अवधि, अनुबंध विवरण संलग्न करें।	**अनुलग्नक**
9. क्या विद्यालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से विद्यालय की भारतीय शिक्षा बोर्ड की संबद्धता प्रदान करने के लिए 'अनापत्ति' प्रमाण पत्र' प्राप्त किया है। (एनओसी की प्रति संलग्न करें)। **अनुलग्नक**	हाँ/नहीं
10. इस आशय का साक्ष्य प्रस्तुत करें कि विद्यालय व्यावसायिक तर्ज पर नहीं चलाया जा रहा है। प्रत्येक की एक प्रति पर्यवेक्षक (ऑडिटर) विद्यालय द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नवीनतम *बैलेंस शीट प्रॉस्पेक्टस,* यदि कोई हो, शुल्क संरचना, आय और व्यय, खाता आदि संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित/प्रबंधक को प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाय।	**अनुलग्नक**
11. क्या विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी/ट्रस्ट गैर-स्वामित्व और गैर-लाभकारी प्रकृति की है ? इस प्रभाव का विधिवत नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित शपथपत्र संलग्न करें।	**अनुलग्नक**
12. क्या विद्यालय को किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त/कॉर्पोरेट निकाय से सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें।	विवरण संलग्न

(ख) कर्मचारी की योग्यता और सेवा शर्तें

1. (i) प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) और पीटीआई सहित शिक्षकों की पद संख्या (नियमित, अस्थायी या अंशकालिक)

	नियमित	अस्थायी	अंश कालिक	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित
(क) प्रिंसिपल					
(ख) एनटीटी					
(ग) पीआरटी					
(घ) टीजीटी					
(ङ) पीजीटी					
(च) पुस्तकालय अध्यक्ष					
(छ) पीटीआई					
कुल					

(ii) प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या

2. (i) प्रधानाचार्य का नाम, शिक्षक, उनके पदनाम, योग्यता, स्नातक/पोस्ट स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषय, कक्षाएँ और विषय शिक्षण, नियुक्ति की तिथि, स्थाईकरण की तिथि, वेतनमान। **अनुलग्नक : उपर्युक्त सभी के साथ उचित रूप से टाइप किया हुआ कर्मचारी विवरण संलग्न करें।** (ii) क्या विद्यालय ने वेलनेस शिक्षक (काउंसलर) नियुक्त किया है? यदि ऐसा है, तो ब्यौरे (विवरण) का उल्लेख करें।	अनुलग्नक अनुलग्नक
3. क्या सेवा शर्तें परिभाषित हैं? यदि हाँ, तो क्या सेवा शर्तें केंद्र/राज्य/संघ शासित प्रदेश के अनुरूप हैं?	हाँ/नहीं
4. क्या केंद्र/राज्य/संघ शासित सरकार के अनुसार वेतनमान का पालन किया जा रहा है? वेतनमान और डी.ए. की दर का उल्लेख किया जा सकता है।	हाँ/नहीं अनुलग्नक
5. कर्मचारियों को दिए गए अन्य भत्ते का केंद्र/राज्य/संघ शासित सरकार के अनुसार भुगतान किया जा रहा है?	हाँ/नहीं
6. कोई अन्य लाभ जैसे GPF/CPF/EPF अर्जित अवकाश आदि बता सकते हैं	
7. क्या सेवा पुस्तिकाएँ और व्यक्तिगत फाइलें बनाई/रखी हुई हैं?	हाँ/नहीं
8. परिवीक्षा (प्रोबेशन) की अवधि और स्थायी (कंफर्म) किए गए और परिवीक्षा पर रहनेवाले शिक्षकों की संख्या।	
9. कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक या नकद या बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से या किस माध्यम से किया जाता है? विवरण दें।	
10. यदि वेतन का भुगतान बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो उसका कारण? 10.1 क्या आवेदक विद्यालय को राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है? या नहीं, 10.2 आवेदक विद्यालय को राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में देखना होगा.., क्या आवेदक विद्यालय ने राज्य के संबंधित शिक्षा विभाग को, संबद्धता प्राप्त करने के लिए बोर्ड को आवेदन देने के विषय में सूचित किया है? यदि हाँ, तो विद्यालय साक्ष्य प्रस्तुत करें। अगर हाँ, अनुबंध संलग्न करें.	हाँ/नहीं टिप्पणी (स्वकथन)

भाग–II

(क) परिसर और भवन

1. (i) परिसर क्षेत्र दोनों वर्ग मीटर और एकड़ में (साइट पर से जहाँ विद्यालय वर्तमान में चल रहा है) (ii) निर्मित क्षेत्र (iii) विद्यालय स्थल का स्थान (location) बताएँ	
2. स्वामित्व की स्थिति क्या है ? क्या परिसर क्षेत्र और इस पर निर्मित विद्यालय सोसायटी/विद्यालय के संपत्ति के अंतर्गत आता है ? यदि पट्टे (लीज) पर है तो कितने वर्षों के लिए ?	
3. यदि एक से अधिक भूमि के दस्तावेज़ हैं, इंगित करें कि क्या भूखंड सन्निहित (contiguous) हैं ?	
4. एक राजस्व प्राधिकरण द्वारा भरा और जारी किया गया पूर्ण पंजीकृत भूमि दस्तावेज़ और भूमि प्रमाण पत्र, की प्रमाणित प्रति अनुबंध संलग्न करें.	
5. क्या विद्यालय पक्की इमारत में है ? यदि नहीं, तो क्या इसमें *टिन शेड, एस्बेस्टस शीट,* टेंट, खपरैल, मिट्टी की झोपड़ियाँ आदि हैं ? यदि हाँ, तो क्षेत्रफल, निर्माण की तिथि, संरचना का अनुमानित जीवन काल, बिजली, सीलिंग पंखे, एग्जॉस्ट पंखे आदि जैसी सुविधाओं का विवरण दें। यदि विद्यालय भवन में खपरैल, *एस्बेस्टस* शीट हैं, तो क्या यह पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र में स्थित है ?	
6. बुनियादी ढाँचे का विवरण विद्यालय में उपलब्ध कमरों की कुल संख्या, प्रशासन और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए कक्षाओं के अलावा कमरों की संख्या (यानी प्रयोगशाला, पुस्तकालय, *स्टाफ रूम,* आदि)	अनुलग्नक (नक्शा की प्रमाणित प्रति)
7. क्या कक्षाएँ छात्रों/विषय शिक्षकों/सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं ?	

(ख) खेल का मैदान

1. खेल के मैदान का आकार और खेल (Game)/खेलकूद (Sports)/ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का विवरण, जिसके लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं।	
2. यदि खेल का मैदान विद्यालय परिसर का हिस्सा नहीं है, क्या यह छात्रों के लिए आसानी से सुलभ है ?	

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

(ग) भौतिक (संरचना) और स्वास्थ्य, अग्नि, पेयजल प्रमाण पत्र

1. क्या संबंधित विभागों से स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल, भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए है ? (क) सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र (i) जारी करने वाला प्राधिकरण (ii) तक वैध है। (ख) अग्नि प्रमाण पत्र (i) जारी करने वाला प्राधिकरण (ii) तक वैध है। (ग) भवन सुरक्षा (i) जारी करने वाला प्राधिकरण			
2. उपरोक्त (1) के अनुसार सुविधाएँ संतोषजनक हैं या नहीं			
3. उपलब्ध शौचालयों की संख्या	छात्र	छात्राएँ	कर्मचारी
4. उपलब्ध पानी के नलों की संख्या।	छात्र	छात्राएँ	कर्मचारी

(घ) पुस्तकालय/फर्नीचर/किताबें आदि

1. पुस्तकालयाध्यक्ष और अन्य पुस्तकालय स्टाफ का विवरण	
2. पुस्तकालय का आकार	
3. क्या पुस्तकालय में छात्रों/शिक्षकों के लिए एक अध्ययन कक्ष है ?	
4. क्या वर्तमान/भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फर्नीचर पर्याप्त है ?	
5. कुल पुस्तकों की संख्या। विषयवार पुस्तकों का विवरण (पुस्तकों की सूची संलग्न करें)।	संलग्नक
6. पत्र-पत्रिकाओं (Journal) के नाम, *समाचार-पत्र सब्सक्राइब* किए जा रहे हैं।	
7. क्या वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक पुस्तकों की आवश्यकता है ?	
8. क्या स्टाफ के लिए अलग संदर्भ अनुभाग (Reference Section) है ?	
9. पुस्तकालय की पुस्तकों/पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि के लिए वार्षिक बजट।	

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

(ङ) प्रयोगशाला

1. प्रयोगशालाओं का विवरण — संख्या — आकार

	संख्या	आकार
(i) समग्र विज्ञान प्रयोगशाला	___________	___________
(ii) भौतिकी	___________	___________
(iii) रसायन विज्ञान	___________	___________
(iv) जीव विज्ञान	___________	___________
(v) कंप्यूटर विज्ञान	___________	___________
(vi) गणित	___________	___________
(vii) अन्य	___________	___________

2. जिस कोर्स के लिए विद्यालय ने आवेदन किया है, क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू मानदंडों के अनुसार व्यावहारिक कार्य के लिए प्रत्येक लैब में पर्याप्त उपकरण हैं?

3. (i) उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या: ________________________

   (ii) प्रति कंप्यूटर छात्रों का अनुपात: ________________________

   (iii) क्या *ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन* विद्यालय में उपलब्ध है: ________________________

आय और व्यय लेखा

1. आय का मुख्य स्रोत	
2. प्रति माह लिया जानेवाला शिक्षण शुल्क	
3. अन्य शुल्क, पंजीकरण शुल्क, सावधि राशि (Caution Money) आदि का विवरण।	
4. भवन निर्माण निधि/विकास शुल्क (यदि कोई हो)।	
5. (क) क्या विद्यालय के पास सोसाइटी के खाते के अलावा अलग से भी कोई खाता है?	
5. (ख) क्या विद्यालय के खाते विधिवत रूप से बनाए रखे जाते हैं और पंजीकृत सी.ए. द्वारा नियमित रूप से ऑडिट किए जाते हैं या राज्य के ऑडिट विभाग द्वारा जाँचे जाते हैं?	हाँ/नहीं

BHARTIYA SHIKSHA

भाग-III

(क) शैक्षणिक

1. छात्रों की संख्या (छात्र और छात्राएँ)	
2. नवीनतम अनुभाग (Section) -वार संख्या (संलग्न करें)	
3. अनुभागों की कुल संख्या	
4. प्राचार्य, पीटीआई और पुस्तकालयाध्यक्ष को छोड़कर शिक्षकों की कुल संख्या	
5. क्या कोई धार्मिक शिक्षा विद्यालय में अनिवार्य कर दी गई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण	
6. (क) क्या विद्यालय के पास सामग्री उपलब्ध है। (बक्सों पर निशान लगाएँ)	☐ शिक्षक का नियमावली ☐ विद्यालय-आधारित मूल्यांकन के लिए प्रमाण पत्र ☐ प्रगति कार्ड ☐ जीवन कौशल नियमावली ☐ विद्यालय स्वास्थ्य नियमावली
7. (ख) क्या विद्यालय निम्नलिखित वर्गों में विद्यालय-आधारित प्रमाण पत्र प्रदान कर रहा है ? कृपया प्रतियाँ संलग्न करें (हाँ/नहीं)	• पूर्व प्राथमिक - प्राथमिक • I – II • III – V • VI – VIII • पूर्व प्राथमिक - प्राथमिक • I – II • III – V • VI – VIII
8. (ग) क्लबों के मामले विद्यालय में कौन-कौन से क्लब कार्य कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित करें।	☐ *इको क्लब* ☐ *हेल्थ एण्ड वेलनेस क्लब* ☐ हेरिटेज क्लब ☐ अखंडता (Integrity) क्लब ☐ *रीडिंग क्लब* ☐ *NCC/NSS* ☐ कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

9. क्या रचनात्मक मूल्यांकन/तीसरी भाषा का शिक्षण/ कार्य अनुभव/शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा (PHE) की सुविधाएँ उपलब्ध हैं और उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है?	हाँ/नहीं
10. क्या बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन किया जा रहा है?	• पूर्व-प्राथमिक (हाँ/नहीं) • I-II (हाँ/नहीं) • III-V (हाँ/नहीं) • VI-VIII (हाँ/नहीं)
11. **रिकॉर्ड रखना**	
11.1 सभी विषयों में रचनात्मक मूल्यांकन का रिकॉर्ड रखना, जिसमें किए कार्यों के प्रकारों का विवरण/ सत्यापन शामिल हो।	
11.2 क्या सह-शैक्षिक क्षेत्रों (को-स्कोलास्टिक एरिया) के तहत संचालित की जाने वाली गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है?	
11.3 शिक्षकों द्वारा रखे गए रिकॉर्ड, जैसे— वर्णनात्मक/ कथात्मक/प्रेक्षण उपकरणों की गुणवत्ता पर टिप्पणी।	
12. क्या शिक्षकों को उनके ज्ञान और शिक्षण कौशल को अद्यतन करने के लिए सेवा के दौरान पुनश्चर्या/ पुनः उन्मुखीकरण (रिफ्रेशर/रि-ऑरिएंटेशन) कार्यक्रमों में भेजा जाता है? यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों का विवरण दें।	विवरण-संलग्न
13. क्या विद्यालय में दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं?	
14. क्या विद्यालय विशेष रूप से बीएसबी (BSB) के उम्मीदवारों को तैयार कर रहा है, या अन्य बोर्ड की कुछ कक्षाएँ भी उसी भवन में संचालित हो रही हैं? यदि हाँ, तो विवरण दें।	
15. बोर्ड की परीक्षाओं के पिछले तीन वर्षों के परिणाम (यदि लागू हो)।	

(ख) भावी योजनाएँ

1. क्या विद्यालय माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक मध्य वर्ग के पाठ्यक्रम/अनंतिम (प्रोविजनल) संबद्धता से विस्तार के लिए शर्तों को पूरा करने की स्थिति में है।	

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर
(नाम और मुहर के साथ)

प्रबंधक/अध्यक्ष/अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक:

1. समाज पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण
3. मान्यता प्रमाणपत्र की प्रति
4. विद्यालय की *बैलेंस शीट* की प्रति
5. नोटरी का शपथपत्र
6. स्टाफ विवरण
7. भूमि प्रमाणपत्र
8. सुरक्षित पेयजल प्रमाणपत्र
9. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र
10. भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र
11. 'राज्य के संबंधित शिक्षा विभाग को भेजे गए NOC या सूचना पत्र की प्रति'
12. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रमाणपत्र
13. ____________________
14. ____________________
15. ____________________

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

शपथ पत्र के लिए प्रारूप

शपथ पत्र (affidavit)

मैं/हम, __________ पुत्र/पुत्री/पत्नी __________, आयु __________ वर्ष, (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) के अध्यक्ष या सचिव और (विद्यालय का नाम) का संचालन करने वाले, निम्नलिखित निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं:

1. __________ (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) एक पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट है, जो __________ (जिस अधिनियम के तहत सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकृत है) के तहत पंजीकृत है।
2. __________ (सोसायटी/ट्रस्ट/कंपनी का नाम, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत है) गैर-स्वामित्व प्रकृति का है।
3. विद्यालय सामुदायिक सेवा के रूप में संचालित किया जा रहा है और यह व्यवसाय के रूप में नहीं चलाया जा रहा है तथा विद्यालय में किसी भी रूप में व्यवसायीकरण (commercialization) नहीं होता है।
4. संस्था की आय का कोई भी भाग ट्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/विद्यालय प्रबंधन समिति के किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है और न ही स्थानान्तरित किया जाएगा। यदि बचत होती है, तो वह नियमित और अनियमित व्यय, विकास, मूल्यह्रास, और आकस्मिकता निधियों में योगदान के बाद विद्यालय को बढ़ावा देने और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसी विद्यालय में उपयोग की जाएगी।
5. विद्यालय किसी अन्य संस्था, संगठन या निकाय को नाम, उद्देश्य, लोगो या किसी अन्य गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं दे रहा है।
6. विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त किए IX/X/XI/XII कक्षाओं में भारतीय शिक्षा बोर्ड के *पैटर्न* के तहत कक्षाएँ नहीं खोलेगा और न ही किसी भी रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम उपयोग करेगा।
7. विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रतिनिधि/प्रबंधक ने व्यक्तिगत रूप से संबद्धता उप-नियमों और परीक्षा उप-नियमों तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलरों का अध्ययन किया है। विद्यालय इन नियमों, दिशानिर्देशों और देश के कानून का पालन करने का वचन देता है।
8. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वैधानिक आवश्यकताओं, जैसे— ईपीएफ़, ईएसआई और श्रम कानूनों और विद्यालय एवं कर्मचारियों से संबंधित सभी लागू कानूनों का पालन किया जाए।

BHARTIYA SHIKSHA

9. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र समय-समय पर संबंधित नगर निगम या राज्य प्राधिकरणों द्वारा जारी या नवीनीकृत किए जाएँ।

10. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि कक्षाएँ शुरू करने से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे उपलब्ध हो और पूरे सत्र के दौरान बनाए रखें।

11. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्धता उप-नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षक कक्षाएँ शुरू करने से पहले उपलब्ध हों।

12. विद्यालय संबद्धता उप-नियमों में फीस से संबंधित प्रावधानों का पालन करेगा और सत्र शुरू होने से पहले छात्रों/अभिभावकों को शुल्क का विवरण प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी प्रकार के छिपे हुए शुल्क शामिल नहीं होंगे।

13. विद्यालय किसी छात्र/अभिभावक को पुस्तकों/*स्टेशनरी*/पोशाक किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

14. विद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करेगा।

15. विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि संबद्धता के लिए आवेदन करने से पहले विद्यालय सभी आवश्यक शर्तें पूरी करता है और संबद्धता के बाद सभी अन्य शर्तों और संबद्धता उप-नियमों में दी गई सामान्य नियमों का पालन करेगा।

16. यदि संबद्धता कुछ शर्तों के साथ दी गई है, तो विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड *पैटर्न* की कक्षाएँ तब तक शुरू नहीं करेगा, जब तक कि विद्यालय द्वारा सभी शर्तों और संबद्धता उप-नियमों में उल्लिखित शर्तों के पालन का प्रमाण पत्र/हलफनामा जमा न किया जाए।

BHARTIYA SHIKSHA

भूमि का प्रमाण पत्र

फ़ाइल संख्या : ____________

प्रमाणित किया जाता है कि भूमि की माप ____________ (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) ____________ में स्थित है [प्लॉट नंबर (एस)/सर्वे नंबर (एस) / खसरा नंबर (एस)], पर ____________ (गली/गाँव, अनुमंडल, जिला और राज्य का नाम) पूरी तरह से इसके बाद उल्लिखित अनुसूची में वर्णित, ____________ के स्वामित्व में है (स्वामी का नाम) ____________ के संदर्भ में (दस्तावेज़/विलेख का विवरण दें, यानी बिक्री विलेख/ लगातार (सतत) लीज डीड/गिफ्ट डीड/वसीयत/ट्रस्ट डीड या अन्य दस्तावेज या शीर्षक) दिनांक ____________ द्वारा निष्पादित ____________ विधिवत पंजीकृत ____________ (तारीख) को क्रम संख्या पर ____________ रजिस्टर संख्या ____________ में, वॉल्यूम संख्या ____________, पृष्ठ पर ____________ को ____________ (पंजीकरण का पूरा विवरण) ____________ के कार्यालय में (पंजीकरण कार्यालय का विवरण)। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संपूर्ण भूमि में एक ही भूखंड है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भूमि के स्वामी ने उक्त भूमि को ____________ (नाम) को पट्टे पर दिया है विधिवत पंजीकृत ____________ वर्ष की अवधि के लिए लीज डीड दिनांक ____________ द्वारा ____________ (तारीख) क्रम संख्या ____________ में पुस्तक संख्या ____________, खंड संख्या में ____________ पृष्ठ पर ____________ से ____________ तक के कार्यालय में पंजीकरण का पूरा विवरण ____________ (पंजीकरण कार्यालय का विवरण) और भूमि अभी भी पट्टेदार के कब्जे में है।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ________________ (विद्यालय का नाम उक्त भूखण्ड पर स्थित है।

ऊपर उल्लिखित भूमि की अनुसूची

जमीन का वह पूरा टुकड़ा जिसकी माप ________________ है (भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में) ________________ में स्थित है [प्लॉट संख्या(संख्याएँ) / सर्वे नंबर संख्या(संख्याएँ)/ खसरा नंबर संख्या(संख्याएँ) ________________ (गली/गाँव, अनुमंडल, जिला और राज्य का नाम) पर है और निम्नानुसार घिरा हुआ है:

उत्तर ________________

पूर्व ________________

पश्चिम ________________

दक्षिण ________________

तहसीलदार / उप - मंडल मजिस्ट्रेट

(पदनाम के साथ अधिकारी का नाम)

(जिला का नाम)

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

________________ [प्लॉट संख्या (संख्याएँ) / सर्वे नंबर संख्या (संख्याएँ)/ खसरा नंबर संख्या (संख्याएँ)

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

संख्या : **दिनांक:** / /

प्रमाणित किया जाता है कि ______________ (भवन या परिसर का नाम) जो ______________ (पता) पर स्थित है, जिसमें ______________ बेसमेंट और ______________ (ऊपरी मंज़िलें) शामिल हैं, जो ______________ (संस्थान का नाम) के स्वामित्व/ अधिकार में है, ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अग्निशमन सेवा नियमों के अनुसार अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन किया है, जिसकी पुष्टि अग्निशमन सेवा के संबंधित अधिकारियों द्वारा ______________ (निरीक्षण की तारीख) को ______________ (प्रबंधक/सचिव या उनके प्रतिनिधि का नाम और पता) की उपस्थिति में की गई।

यह प्रमाणित किया जाता है कि भवन/परिसर को ______________ वर्ग की आवासीय उपयोगिता के लिए ______________ (तिथि) से ______________ वर्षों की अवधि तक नियमों के अनुसार और शर्तों के अनुपालन के अधीन उपयुक्त पाया गया है।

जारी तिथि: ______________ स्थान: ______________

*जो लागू न हो, उसे हटा दें।

हस्ताक्षर और मुहर: ______________ नाम: ______________

पद: ______________ प्रति ______________

____

____

____

(संस्थान का नाम और पता)

प्रमाणित करना

अग्निशमन सेवा द्वारा जारी किया गया 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' निम्नलिखित कारणों से रद्द और निरस्त किया जाता है: ______________ (कारण यहाँ दर्ज किए जाएँ)।

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पद)

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

परिशिष्ट–*VI*

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की स्थिति के प्रमाण पत्र का प्रारूप

क्रमांक: __________ **तिथि:** __________

यह प्रमाणित किया जाता है कि एक निरीक्षण टीम, जिसकी अध्यक्षता __________________________ (अधिकारियों के नाम और पदनाम) ने __________________________ (विभाग/कार्यालय का नाम) से __________________________ (विद्यालय का नाम और पता) का निरीक्षण किया तथा दिनांक ____________________ को पाया कि __________________________ (विद्यालय का नाम) में छात्रों और संस्था के सदस्यों के लिए सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और विद्यालय भवन व परिसर में स्वच्छता स्थिति केंद्रीय/राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाए रखी गई है।

उपरोक्त प्रमाण पत्र की वैधता अवधि __________________________ है।

हस्ताक्षर और सील: __________________________

नाम: __________________________

पदनाम: __________________________

प्रति:

____

____

____

(संस्थान का नाम और पता)

टिप्पणी: यह प्रमाणपत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में कार्यरत एक डॉक्टर या एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

BHARTIYA SHIKSHA BOARD

भारतीय शिक्षा बोर्ड (बीएसबी) के साथ उच्च प्राथमिक कक्षा पाठ्यक्रम (कक्षा 8 तक) के अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र

ऑनलाइन– कृपया www.bsb.org.in से डाउनलोड करें

आवेदन शुल्क – रु. 21,000/-

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विद्यालय का नाम:	
2. संपर्क विवरण: क. राज्य और पिन कोड सहित पूरा पता: ख. एसटीडी कोड सहित टेलीफ़ोन नंबर: ग. मोबाइल नंबर: घ. ईमेल आईडी: ड. विद्यालय की वेबसाइट	
3. स्थापना वर्ष:	
4. विद्यालय की वर्तमान स्थिति: क. प्राथमिक ख. मिडिल	
5. क्या विद्यालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से मान्यता प्राप्त की है ? (कृपया नोटरी शपथपत्र के साथ मान्यता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें)।	
6. कोई अन्य जानकारी, जो विद्यालय देना चाहे।	

कृपया भुगतान प्रमाण के साथ भुगतान मोड का उल्लेख करें।

प्रिंसिपल के हस्ताक्षर
(नाम और मुहर के साथ)

प्रबंधक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम और मुहर के साथ)

BHARTIYA SHIKSHA BOARD